

NYAYA PATHSHALA ACADEMY · JUDICIAL SERVICES

Judiciary Prelims Test Series · Mock Test 01

न्यायिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा · मॉक टेस्ट 01

100

Questions · प्रश्न

120

Minutes · मिनट

100

Marks · अंक

EN·हि

Bilingual · द्विभाषी

Instructions · निर्देश

- Each question has four options; choose the one best answer.
प्रत्येक प्रश्न के चार विकल्प हैं; एक सर्वोत्तम उत्तर चुनें।
- Time the paper strictly. Negative marking varies by state (none, $\frac{1}{4}$ or $\frac{1}{3}$); follow your state's pattern.
समय का कड़ाई से पालन करें। नकारात्मक अंकन राज्यवार भिन्न है (नहीं, $\frac{1}{4}$ या $\frac{1}{3}$); अपने राज्य के पैटर्न का पालन करें।
- Attempt the full paper before opening the answer key and explanations at the end.
अंत में दी गई उत्तर कुंजी और व्याख्या देखने से पहले पूरा प्रश्नपत्र हल करें।
- Laws cited follow BNS, BNSS and BSA (in force from 1 July 2024) where relevant.
जहाँ प्रासंगिक है, BNS, BNSS और BSA (1 जुलाई 2024 से प्रभावी) के अनुसार।
- Take this paper online with timer, instant score and subject-wise analysis: scan the QR code on any page.
टाइमर, तुरंत स्कोर और विषयवार विश्लेषण के साथ ऑनलाइन टेस्ट दें: किसी भी पृष्ठ का QR कोड स्कैन करें।

Subjects in this paper · विषय

Constitution	12	Limitation	4
BNS	12	Hindu Law	5
BNSS	12	Muslim Law	4
BSA	10	Torts	2
CPC	12	Jurisprudence	2
Contract	7	Interpretation	1
Specific Relief	3	Landmark Judgments	8
TPA	6		

Original mock paper by Nyaya Pathshala faculty · not a previous-year paper · मौलिक मॉक प्रश्नपत्र, पिछले वर्ष का प्रश्नपत्र नहीं



Questions · प्रश्न

1. "India, that is Bharat, shall be a Union of States." This declaration is contained in which Article of the Constitution of India?

Constitution

"भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा।" यह घोषणा भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में है?

- (A) Article 4
अनुच्छेद 4
- (B) Article 1
अनुच्छेद 1
- (C) Article 2
अनुच्छेद 2
- (D) Article 3
अनुच्छेद 3

2. Under the proviso to Article 3, a Bill for forming a new State or altering the boundaries of a State can be introduced in either House of Parliament only on the recommendation of:

Constitution

अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अधीन नए राज्य के निर्माण या किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में केवल किसकी सिफारिश पर पुरःस्थापित किया जा सकता है?

- (A) The Governor of the affected State
प्रभावित राज्य का राज्यपाल
- (B) The Election Commission of India
भारत निर्वाचन आयोग
- (C) The Speaker of the Lok Sabha
लोक सभा अध्यक्ष
- (D) The President
राष्ट्रपति

3. Assertion (A): A law made by Parliament under Article 3 altering the boundaries of a State is not an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368.

Constitution

Reason (R): Article 4(2) declares that no law referred to in Article 2 or Article 3 shall be deemed to be an amendment of the Constitution for the purposes of Article 368.

अभिकथन (A): किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन हेतु अनुच्छेद 3 के अधीन संसद द्वारा बनाई गई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं है। कारण (R): अनुच्छेद 4(2) घोषित करता है कि अनुच्छेद 2 या अनुच्छेद 3 में निर्दिष्ट कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी।

- (A) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
A और R दोनों सत्य हैं किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है
- (B) A is false but R is true
A असत्य है किन्तु R सत्य है
- (C) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है
- (D) A is true but R is false
A सत्य है किन्तु R असत्य है

4. Which words were inserted in the Preamble by the Constitution (Forty-second Amendment) Act, 1976?

Constitution

संविधान (बयालीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा उद्देशिका में कौन-से शब्द जोड़े गए?

- (A) Sovereign, Socialist and Secular
संप्रभु, समाजवादी और पंथनिरपेक्ष
- (B) Fraternity, Secular and Justice
बंधुता, पंथनिरपेक्ष और न्याय
- (C) Socialist, Secular and Integrity
समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता
- (D) Democratic, Republic and Unity
लोकतंत्रात्मक, गणराज्य और एकता



5. In which case did the Supreme Court hold that the Preamble is a part of the Constitution, departing from the view taken in the Berubari Union reference?

Constitution

किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने बेरुबारी यूनियन निर्देश के मत से भिन्न होकर यह अभिनिर्धारित किया कि उद्देशिका संविधान का भाग है?

- (A) Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973)
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973)
- (B) I.C. Golaknath v. State of Punjab (1967)
आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य (1967)
- (C) Shankari Prasad v. Union of India (1951)
शंकर प्रसाद बनाम भारत संघ (1951)
- (D) Sajjan Singh v. State of Rajasthan (1965)
सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य (1965)

6. Which Article of the Constitution empowers Parliament to make provision by law with respect to acquisition and termination of citizenship and all other matters relating to citizenship?

Constitution

संविधान का कौन-सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अर्जन और समाप्ति तथा नागरिकता से संबंधित अन्य सभी विषयों के बारे में विधि द्वारा उपबंध करने की शक्ति देता है?

- (A) Article 9
अनुच्छेद 9
- (B) Article 5
अनुच्छेद 5
- (C) Article 11
अनुच्छेद 11
- (D) Article 10
अनुच्छेद 10

7. Which of the following pairs is NOT correctly matched?

Constitution

निम्नलिखित में से कौन-सा युग्म सुमेलित नहीं है?

- (A) Article 10 – Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign State not to be citizens
अनुच्छेद 10 – विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना
- (B) Article 8 – Rights of citizenship of certain persons of Indian origin residing outside India
अनुच्छेद 8 – भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार
- (C) Article 7 – Rights of citizenship of certain migrants to Pakistan
अनुच्छेद 7 – पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार
- (D) Article 6 – Rights of citizenship of certain persons who have migrated to India from Pakistan
अनुच्छेद 6 – पाकिस्तान से भारत को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता अधिकार

8. In which case did the Supreme Court hold that a Regional Engineering College run by a society registered under the Societies Registration Act was an 'authority' and hence 'State' under Article 12?

Constitution

किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी द्वारा संचालित क्षेत्रीय अभियांत्रिकी महाविद्यालय अनुच्छेद 12 के अंतर्गत 'प्राधिकारी' और अतः 'राज्य' है?

- (A) Ajay Hasia v. Khalid Mujib Sehravardi (1981)
अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सहरवर्दी (1981)
- (B) Pradeep Kumar Biswas v. Indian Institute of Chemical Biology (2002)
प्रदीप कुमार बिस्वास बनाम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल बायोलॉजी (2002)
- (C) University of Madras v. Shantha Bai (1954)
मद्रास विश्वविद्यालय बनाम शांता बाई (1954)
- (D) Zee Telefilms Ltd. v. Union of India (2005)
ज़ी टेलीफिल्म्स लि. बनाम भारत संघ (2005)



- 9. Clause (4) of Article 13, providing that nothing in Article 13 shall apply to any amendment of the Constitution made under Article 368, was inserted by which Constitutional Amendment?**

Constitution

अनुच्छेद 13 का खंड (4), जो यह उपबंध करता है कि अनुच्छेद 368 के अधीन किए गए संविधान संशोधन पर अनुच्छेद 13 की कोई बात लागू नहीं होगी, किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया?

- | | |
|--|--|
| (A) 24th Amendment, 1971
24वाँ संशोधन, 1971 | (B) 1st Amendment, 1951
पहला संशोधन, 1951 |
| (C) 44th Amendment, 1978
44वाँ संशोधन, 1978 | (D) 42nd Amendment, 1976
42वाँ संशोधन, 1976 |

- 10. "Equality is antithetic to arbitrariness" — this new dimension of Article 14 was propounded in:**

Constitution

"समता और मनमानापन एक-दूसरे के विरोधी हैं" — अनुच्छेद 14 का यह नया आयाम किस मामले में प्रतिपादित किया गया?

- | | |
|--|--|
| (A) State of West Bengal v. Anwar Ali Sarkar (1952)
पश्चिम बंगाल राज्य बनाम अनवर अली सरकार (1952) | (B) E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu (1974)
ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) |
| (C) State of Madras v. Champakam Dorairajan (1951)
मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोरैराजन (1951) | (D) Indra Sawhney v. Union of India (1992)
इंद्रा साहनी बनाम भारत संघ (1992) |

- 11. Which clause of Article 15 enables the State to make special provisions for women and children?**

Constitution

अनुच्छेद 15 का कौन-सा खंड राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए विशेष उपबंध करने में समर्थ बनाता है?

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (A) Article 15(4)
अनुच्छेद 15(4) | (B) Article 15(5)
अनुच्छेद 15(5) |
| (C) Article 15(3)
अनुच्छेद 15(3) | (D) Article 15(2)
अनुच्छेद 15(2) |

- 12. Article 18(1) prohibits the State from conferring any title except:**

Constitution

अनुच्छेद 18(1) राज्य को किसको छोड़कर कोई उपाधि प्रदान करने से प्रतिषिद्ध करता है?

- | | |
|---|--|
| (A) A religious or cultural distinction
धार्मिक या सांस्कृतिक सम्मान | (B) A military or academic distinction
सेना या विद्या संबंधी सम्मान |
| (C) A title approved by Parliament
संसद द्वारा अनुमोदित उपाधि | (D) A civilian or sporting distinction
नागरिक या खेल संबंधी सम्मान |

- 13. How many sections does the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 contain?**

BNS

भारतीय न्याय संहिता, 2023 में कुल कितनी धाराएँ हैं?

- | | |
|----------------|----------------|
| (A) 356
356 | (B) 531
531 |
| (C) 358
358 | (D) 511
511 |



- 14. Under Section 2(3) of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023, 'child' means any person below the age of:**

BNS

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 2(3) के अधीन 'बालक' से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु कम है:

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|
| (A) Fourteen years
चौदह वर्ष से | (B) Sixteen years
सोलह वर्ष से |
| (C) Twelve years
बारह वर्ष से | (D) Eighteen years
अठारह वर्ष से |

- 15. Which of the following punishments has been newly added to the list of punishments in Section 4 of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023?**

BNS

भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 4 में दंडों की सूची में निम्नलिखित में से कौन-सा दंड नया जोड़ा गया है?

- | | |
|---|---|
| (A) Whipping
कोड़े मारना | (B) Penal servitude
दंडात्मक दासता |
| (C) Transportation for life
आजीवन निर्वासन | (D) Community service
सामुदायिक सेवा |

- 16. Under Section 6 of the BNS, in calculating fractions of terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for:**

BNS

भा.न्या.सं. की धारा 6 के अधीन दंडावधियों की भिन्नों की गणना करने में आजीवन कारावास को कितने वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा?

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| (A) Thirty years
तीस वर्ष | (B) Twenty years
बीस वर्ष |
| (C) Fourteen years
चौदह वर्ष | (D) Twenty-five years
पच्चीस वर्ष |

- 17. The principle of joint liability for acts done by several persons in furtherance of common intention (Section 34 IPC) is now contained in which provision of the BNS?**

BNS

सामान्य आशय को अग्रसर करने में कई व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों का संयुक्त दायित्व (भा.दं.सं. धारा 34) अब भा.न्या.सं. के किस उपबंध में है?

- | | |
|-------------------------------|---------------------------|
| (A) Section 45
धारा 45 | (B) Section 34
धारा 34 |
| (C) Section 3(5)
धारा 3(5) | (D) Section 61
धारा 61 |

- 18. Under Section 11 of the BNS, the total period of solitary confinement awarded to an offender shall in no case exceed:**

BNS

भा.न्या.सं. की धारा 11 के अधीन किसी अपराधी को दिया गया एकांत परिरोध कुल मिलाकर किसी भी दशा में कितनी अवधि से अधिक नहीं होगा?

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| (A) One year
एक वर्ष | (B) Six months
छह मास |
| (C) Three months
तीन मास | (D) One month
एक मास |



19. Under the BNS, 'nothing is an offence which is done by a child under seven years of age'.

BNS

This general exception is contained in:

भा.न्या.सं. के अधीन 'कोई बात अपराध नहीं है जो सात वर्ष से कम आयु के बालक द्वारा की जाती है।' यह साधारण अपवाद किस धारा में है?

(A) Section 22

धारा 22

(B) Section 20

धारा 20

(C) Section 21

धारा 21

(D) Section 18

धारा 18

20. Match List-I (Section of BNS) with List-II (General Exception): List-I: (a) Section 14 (b) Section 18 (c) Section 22 (d) Section 23 List-II: (1) Accident in doing a lawful act (2) Act of a person of unsound mind (3) Act done by a person bound, or by mistake of fact believing himself bound, by law (4) Act of a person incapable of judgment by reason of intoxication caused against his will

BNS

सूची-I (भा.न्या.सं. की धारा) को सूची-II (साधारण अपवाद) से सुमेलित कीजिए: सूची-I: (a) धारा 14 (b) धारा 18 (c) धारा 22 (d) धारा 23 सूची-II: (1) विधिपूर्ण कार्य करने में दुर्घटना (2) विकृतचित्त व्यक्ति का कार्य (3) विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल से अपने को विधि द्वारा आबद्ध होने का विश्वास करने वाले व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य (4) इच्छा के विरुद्ध मत्तता के कारण निर्णय में असमर्थ व्यक्ति का कार्य

(A) a-3, b-1, c-4, d-2

a-3, b-1, c-4, d-2

(B) a-1, b-3, c-2, d-4

a-1, b-3, c-2, d-4

(C) a-3, b-1, c-2, d-4

a-3, b-1, c-2, d-4

(D) a-2, b-4, c-3, d-1

a-2, b-4, c-3, d-1

21. Criminal conspiracy, defined in Section 120A of the IPC, is defined in which section of the BNS?

BNS

भा.दं.सं. की धारा 120क में परिभाषित आपराधिक षड्यंत्र भा.न्या.सं. की किस धारा में परिभाषित है?

(A) Section 111

धारा 111

(B) Section 45

धारा 45

(C) Section 61

धारा 61

(D) Section 62

धारा 62

22. Under Section 103(2) of the BNS (mob lynching), murder committed on grounds of race, caste, community, sex, place of birth, language, personal belief or any other similar ground must be committed by a group of at least how many persons acting in concert?

BNS

भा.न्या.सं. की धारा 103(2) (भीड़ द्वारा हत्या) के अधीन मूलवंश, जाति, समुदाय, लिंग, जन्मस्थान, भाषा, व्यक्तिगत विश्वास या अन्य समान आधार पर हत्या मिलकर कार्य करने वाले कम से कम कितने व्यक्तियों के समूह द्वारा की जानी चाहिए?

(A) Seven

सात

(B) Five

पाँच

(C) Ten

दस

(D) Three

तीन



- 23. Under Section 106(2) of the BNS, a person who causes death by rash and negligent driving and escapes without reporting the incident to a police officer or Magistrate soon after the incident is punishable with imprisonment which may extend to:**

BNS

भा.न्या.सं. की धारा 106(2) के अधीन जो व्यक्ति उतावलेपन और उपेक्षापूर्ण वाहन चालन से मृत्यु कारित करता है और घटना के शीघ्र पश्चात् पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट को सूचना दिए बिना भाग जाता है, वह कितनी अवधि तक के कारावास से दंडनीय है?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (A) Ten years
दस वर्ष | (B) Five years
पाँच वर्ष |
| (C) Seven years
सात वर्ष | (D) Two years
दो वर्ष |

- 24. X has sexual intercourse with Y by making a false promise to marry her without any intention of fulfilling it; the act does not amount to rape. X is liable under which section of the BNS?**

BNS

X, Y से विवाह का मिथ्या वचन देकर, जिसे पूरा करने का उसका कोई आशय नहीं है, उसके साथ मैथुन करता है; यह कृत्य बलात्संग की कोटि में नहीं आता। X भा.न्या.सं. की किस धारा के अधीन दायी है?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (A) Section 69
धारा 69 | (B) Section 74
धारा 74 |
| (C) Section 85
धारा 85 | (D) Section 63
धारा 63 |

- 25. How many sections does the Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 contain?**

BNS

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में कुल कितनी धाराएँ हैं?

- | | |
|----------------|----------------|
| (A) 533
533 | (B) 531
531 |
| (C) 484
484 | (D) 358
358 |

- 26. Which of the following terms is defined in Section 2 of the BNSS but was NOT defined in the Code of Criminal Procedure, 1973?**

BNSS

निम्नलिखित में से कौन-सा पद भा.ना.सु.सं. की धारा 2 में परिभाषित है किन्तु दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 में परिभाषित नहीं था?

- | | |
|--------------------|------------------------------|
| (A) Charge
आरोप | (B) Investigation
अन्वेषण |
| (C) Bail
जमानत | (D) Complaint
परिवाद |

- 27. Which class of Criminal Courts mentioned in Section 6 of the CrPC, 1973 does NOT find place in Section 6 of the BNSS?**

BNSS

दं.प्र.सं., 1973 की धारा 6 में उल्लिखित दंड न्यायालयों का कौन-सा वर्ग भा.ना.सु.सं. की धारा 6 में स्थान नहीं पाता?

- | | |
|---|---|
| (A) Courts of Session
सेशन न्यायालय | (B) Judicial Magistrates of the second class
द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट |
| (C) Executive Magistrates
कार्यपालक मजिस्ट्रेट | (D) Metropolitan Magistrates
महानगर मजिस्ट्रेट |



- 28. Under Section 23 of the BNSS, a Judicial Magistrate of the first class may pass a sentence of fine not exceeding:**

BNSS

भा.ना.सु.सं. की धारा 23 के अधीन प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट अधिकतम कितने जुर्माने का दंडादेश दे सकता है?

- | | |
|--|--|
| (A) One lakh rupees
एक लाख रुपये | (B) Ten thousand rupees
दस हजार रुपये |
| (C) Twenty-five thousand rupees
पच्चीस हजार रुपये | (D) Fifty thousand rupees
पचास हजार रुपये |

- 29. Under Section 23(1) of the BNSS, a Chief Judicial Magistrate may pass any sentence authorised by law except a sentence of death, imprisonment for life or imprisonment for a term exceeding:**

BNSS

भा.ना.सु.सं. की धारा 23(1) के अधीन मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मृत्यु, आजीवन कारावास या कितनी अवधि से अधिक के कारावास के सिवाय विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंडादेश दे सकता है?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (A) Five years
पाँच वर्ष | (B) Ten years
दस वर्ष |
| (C) Three years
तीन वर्ष | (D) Seven years
सात वर्ष |

- 30. Match the provisions of the CrPC, 1973 (List-I) with the corresponding provisions of the BNSS (List-II): List-I: (a) Section 482 (inherent powers of High Court) (b) Section 438 (anticipatory bail) (c) Section 167 (procedure when investigation cannot be completed in 24 hours) (d) Section 164 (recording of confessions and statements) List-II: (1) Section 187 (2) Section 183 (3) Section 528 (4) Section 482**

BNSS

द.प्र.सं., 1973 के उपबंधों (सूची-I) को भा.ना.सु.सं. के तत्स्थानी उपबंधों (सूची-II) से सुमेलित कीजिए: सूची-I: (a) धारा 482 (उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ) (b) धारा 438 (अग्रिम जमानत) (c) धारा 167 (जब अन्वेषण 24 घंटे में पूरा न हो सके तब प्रक्रिया) (d) धारा 164 (संस्वीकृतियों और कथनों को अभिलिखित करना) सूची-II: (1) धारा 187 (2) धारा 183 (3) धारा 528 (4) धारा 482

- | | |
|--|--|
| (A) a-4, b-3, c-1, d-2
a-4, b-3, c-1, d-2 | (B) a-4, b-3, c-2, d-1
a-4, b-3, c-2, d-1 |
| (C) a-3, b-4, c-2, d-1
a-3, b-4, c-2, d-1 | (D) a-3, b-4, c-1, d-2
a-3, b-4, c-1, d-2 |

- 31. Under Section 173(3) of the BNSS, on receipt of information relating to a cognizable offence punishable for three years or more but less than seven years, the officer in charge of a police station may, with prior permission of an officer not below the rank of DSP, conduct a preliminary enquiry to ascertain a prima facie case within a period of:**

BNSS

भा.ना.सु.सं. की धारा 173(3) के अधीन तीन वर्ष या अधिक किन्तु सात वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय संज्ञेय अपराध की सूचना प्राप्त होने पर थाने का भारसाधक अधिकारी, पुलिस उप-अधीक्षक से अनिवार्य पंक्ति के अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से, प्रथमदृष्टया मामला सुनिश्चित करने हेतु कितनी अवधि में प्रारंभिक जाँच कर सकता है?

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| (A) Seven days
सात दिन | (B) Three days
तीन दिन |
| (C) Thirty days
तीस दिन | (D) Fourteen days
चौदह दिन |



- 32. Under Section 176(3) of the BNSS, a forensics expert must be caused to visit the crime scene to collect forensic evidence in respect of every offence punishable with imprisonment for:**

BNSS

भा.ना.सु.सं. की धारा 176(3) के अधीन किस अवधि के कारावास से दंडनीय प्रत्येक अपराध में न्यायालयिक साक्ष्य संग्रहण हेतु न्यायालयिक विशेषज्ञ को अपराध स्थल पर भेजना अनिवार्य है?

- | | |
|---|---|
| (A) Ten years or more
दस वर्ष या अधिक | (B) Seven years or more
सात वर्ष या अधिक |
| (C) Life imprisonment or death only
केवल आजीवन कारावास या मृत्यु | (D) Three years or more
तीन वर्ष या अधिक |

- 33. Under the proviso to Section 479(1) of the BNSS, an undertrial prisoner who is a first-time offender (never convicted of any offence) shall be released on bond by the Court if he has undergone detention for a period extending up to:**

BNSS

भा.ना.सु.सं. की धारा 479(1) के परन्तुक के अधीन ऐसा विचाराधीन बंदी जो प्रथम बार का अपराधी है (कभी किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं हुआ), न्यायालय द्वारा बंधपत्र पर छोड़ा जाएगा यदि वह कितनी अवधि तक निरुद्ध रह चुका है?

- | | |
|--|--|
| (A) One-fourth of the maximum period of imprisonment specified for the offence
अपराध हेतु विनिर्दिष्ट अधिकतम कारावास की एक-चौथाई अवधि | (B) One-half of the maximum period of imprisonment specified for the offence
अपराध हेतु विनिर्दिष्ट अधिकतम कारावास की आधी अवधि |
| (C) One-third of the maximum period of imprisonment specified for the offence
अपराध हेतु विनिर्दिष्ट अधिकतम कारावास की एक-तिहाई अवधि | (D) Two-thirds of the maximum period of imprisonment specified for the offence
अपराध हेतु विनिर्दिष्ट अधिकतम कारावास की दो-तिहाई अवधि |

- 34. Which section of the BNSS provides for inquiry, trial and judgment in absentia of a proclaimed offender?**

BNSS

भा.ना.सु.सं. की कौन-सी धारा उद्घोषित अपराधी की अनुपस्थिति में जाँच, विचारण और निर्णय का उपबंध करती है?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (A) Section 84
धारा 84 | (B) Section 356
धारा 356 |
| (C) Section 530
धारा 530 | (D) Section 398
धारा 398 |

- 35. Under Section 35(7) of the BNSS, no arrest shall be made without prior permission of an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police in an offence punishable with imprisonment of less than three years, if the accused is infirm or is above the age of:**

BNSS

भा.ना.सु.सं. की धारा 35(7) के अधीन तीन वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध में, यदि अभियुक्त अशक्त है या किस आयु से अधिक है, तो पुलिस उप-अधीक्षक से अनिवार्य पंक्ति के अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के बिना गिरफ्तारी नहीं की जाएगी?

- | | |
|--|------------------------------------|
| (A) Seventy years
सत्तर वर्ष | (B) Sixty-five years
पैंसठ वर्ष |
| (C) Seventy-five years
पचहत्तर वर्ष | (D) Sixty years
साठ वर्ष |



- 36. Which section of the BNSS provides that all trials, inquiries and proceedings under the Sanhita may be held in electronic mode, by use of electronic communication or audio-video electronic means?**

BNSS

भा.ना.सु.सं. की कौन-सी धारा उपबंध करती है कि संहिता के अधीन सभी विचारण, जाँच और कार्यवाहियाँ इलेक्ट्रॉनिक संसूचना या श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधनों के प्रयोग द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में की जा सकती हैं?

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| (A) Section 479
धारा 479 | (B) Section 530
धारा 530 |
| (C) Section 528
धारा 528 | (D) Section 531
धारा 531 |

- 37. How many sections does the Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023 contain?**

BSA

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में कुल कितनी धाराएँ हैं?

- | | |
|----------------|----------------|
| (A) 167
167 | (B) 170
170 |
| (C) 175
175 | (D) 358
358 |

- 38. The doctrine of res gestae (facts forming part of the same transaction), contained in Section 6 of the Indian Evidence Act, 1872, is now contained in which section of the BSA?**

BSA

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 6 में 'अंतर्विष्ट रेस जेस्टे' का सिद्धांत (एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य) अब भा.सा.अ. की किस धारा में है?

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| (A) Section 8
धारा 8 | (B) Section 6
धारा 6 |
| (C) Section 4
धारा 4 | (D) Section 3
धारा 3 |

- 39. Under Section 2 of the BSA, the definition of 'document' expressly includes:**

BSA

भा.सा.अ. की धारा 2 के अधीन 'दस्तावेज' की परिभाषा में स्पष्ट रूप से सम्मिलित है:

- | | |
|--|---|
| (A) Only public records
केवल लोक अभिलेख | (B) Only matter written on paper
केवल कागज पर लिखी बात |
| (C) Only maps and plans
केवल मानचित्र और रेखांक | (D) Electronic and digital records
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख |

- 40. "When one fact is declared by this Adhiniyam to be _____ of another, the Court shall, on proof of the one fact, regard the other as proved, and shall not allow evidence to be given for the purpose of disproving it." Fill in the blank.**

BSA

"जहाँ इस अधिनियम द्वारा एक तथ्य दूसरे का _____ घोषित किया गया है, वहाँ न्यायालय एक तथ्य के साबित हो जाने पर दूसरे को साबित मानेगा और उसे नासाबित करने के प्रयोजन से साक्ष्य दिए जाने की अनुज्ञा नहीं देगा।" रिक्त स्थान भरिए।

- | | |
|--|--|
| (A) May presume
उपधारणा कर सकेगा | (B) Prima facie proof
प्रथमदृष्टया सबूत |
| (C) Conclusive proof
निश्चयांक सबूत | (D) Shall presume
उपधारणा करेगा |



- 41. A, B and C conspire to rob a bank. After the conspiracy is formed, B writes a letter to D describing the plan. In the trial of A for conspiracy, the letter is relevant under which section of the BSA?**

BSA

A, B और C बैंक लूटने का षड्यंत्र करते हैं। षड्यंत्र बनने के पश्चात् B, D को योजना का वर्णन करते हुए पत्र लिखता है। षड्यंत्र हेतु A के विचारण में यह पत्र भा.सा.अ. की किस धारा के अधीन सुसंगत है?

- | | |
|---|---|
| <p>(A) Section 26 – statement of person who cannot be called as witness
धारा 26 – ऐसे व्यक्ति का कथन जिसे साक्षी के रूप में बुलाया नहीं जा सकता</p> <p>(C) Section 8 – things said or done by conspirator in reference to common design
धारा 8 – सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें</p> | <p>(B) Section 4 – facts forming part of same transaction
धारा 4 – एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्य</p> <p>(D) Section 15 – admission
धारा 15 – स्वीकृति</p> |
|---|---|

- 42. Motive, preparation and previous or subsequent conduct are made relevant under which section of the BSA?**

BSA

हेतु, तैयारी और पूर्व या पश्चात्कर्ती आचरण भा.सा.अ. की किस धारा के अधीन सुसंगत हैं?

- | | |
|---|---|
| <p>(A) Section 5
धारा 5</p> <p>(C) Section 7
धारा 7</p> | <p>(B) Section 9
धारा 9</p> <p>(D) Section 6
धारा 6</p> |
|---|---|

- 43. The accused pleads that at the time of the murder he was in another city. This plea of alibi is relevant under which section of the BSA?**

BSA

अभियुक्त अभिवाक् करता है कि हत्या के समय वह दूसरे नगर में था। अन्यत्र उपस्थिति (एलिबाई) का यह अभिवाक् भा.सा.अ. की किस धारा के अधीन सुसंगत है?

- | | |
|---|---|
| <p>(A) Section 7
धारा 7</p> <p>(C) Section 9
धारा 9</p> | <p>(B) Section 4
धारा 4</p> <p>(D) Section 15
धारा 15</p> |
|---|---|

- 44. Section 65B of the Indian Evidence Act, 1872 (admissibility of electronic records) corresponds to which section of the BSA?**

BSA

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 65ख (इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता) भा.सा.अ. की किस धारा के तत्स्थानी है?

- | | |
|---|---|
| <p>(A) Section 39
धारा 39</p> <p>(C) Section 57
धारा 57</p> | <p>(B) Section 63
धारा 63</p> <p>(D) Section 61
धारा 61</p> |
|---|---|



45. A dying declaration (statement as to cause of death) is relevant under which section of the BSA?

BSA

मृत्युकालिक कथन (मृत्यु के कारण के बारे में कथन) भा.सा.अ. की किस धारा के अधीन सुसंगत है?

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (A) Section 26
धारा 26 | (B) Section 32
धारा 32 |
| (C) Section 22
धारा 22 | (D) Section 24
धारा 24 |

46. Section 27 of the Indian Evidence Act, 1872 (how much of information received from accused may be proved – discovery of fact) finds place in the BSA as:

BSA

भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 27 (अभियुक्त से प्राप्त जानकारी में से कितनी साबित की जा सकेगी – तथ्य का पता चलना) भा.सा.अ. में किस रूप में है?

- | | |
|---|---------------------------|
| (A) Proviso to Section 23
धारा 23 का परन्तुक | (B) Section 29
धारा 29 |
| (C) Section 27
धारा 27 | (D) Section 25
धारा 25 |

47. Which of the following is NOT a 'decree' within the meaning of Section 2(2) of the Code of Civil Procedure, 1908?

CPC

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 2(2) के अर्थान्तर्गत निम्नलिखित में से कौन-सा 'डिक्री' नहीं है?

- | | |
|--|---|
| (A) An order of dismissal for default
व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश | (B) Determination of a question within Section 144
धारा 144 के अंतर्गत किसी प्रश्न का अवधारण |
| (C) Rejection of a plaint
वादपत्र का नामंजूर किया जाना | (D) A preliminary decree in a partition suit
विभाजन वाद में प्रारंभिक डिक्री |

48. Under Section 2(12) CPC, 'mesne profits' of property do NOT include:

CPC

सि.प्र.सं. की धारा 2(12) के अधीन संपत्ति के अंतःकालीन लाभ में सम्मिलित नहीं हैं:

- | | |
|---|---|
| (A) Interest on such profits
ऐसे लाभों पर ब्याज | (B) Profits which he might with ordinary diligence have received
वे लाभ जो वह मामूली तत्परता से प्राप्त कर सकता था |
| (C) Profits due to improvements made by the person in wrongful possession
सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण हुए लाभ | (D) Profits actually received by the person in wrongful possession
सदोष कब्जाधारी द्वारा वस्तुतः प्राप्त लाभ |

49. Under Section 2(11) CPC, 'legal representative' includes:

CPC

सि.प्र.सं. की धारा 2(11) के अधीन 'विधिक प्रतिनिधि' में सम्मिलित है:

- | | |
|---|---|
| (A) Any person who intermeddles with the estate of the deceased
कोई व्यक्ति जो मृतक की संपदा में दखल देता है | (B) Only the successor-in-office of a public officer
केवल लोक अधिकारी का पद-उत्तरवर्ती |
| (C) Only an executor appointed by will
केवल इच्छापत्र द्वारा नियुक्त निष्पादक | (D) Only the legal heirs under personal law
केवल स्वीय विधि के अधीन विधिक वारिस |



- 50. According to Explanation I to Section 9 CPC, a suit in which the right to property or to an office is contested is a suit of a civil nature:**

CPC

धारा 9 सि.प्र.सं. के स्पष्टीकरण I के अनुसार ऐसा वाद जिसमें संपत्ति या पद संबंधी अधिकार प्रतिवादित है, सिविल प्रकृति का वाद है:

- | | |
|---|--|
| <p>(A) Only with the leave of the High Court
केवल उच्च न्यायालय की अनुमति से</p> <p>(C) Notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies
इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार पूर्णतः धार्मिक कृत्यों या कर्मकांडों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर निर्भर हो</p> | <p>(B) Only if no religious question is involved
केवल तभी जब कोई धार्मिक प्रश्न अंतर्ग्रस्त न हो</p> <p>(D) Only if the office carries fees
केवल तभी जब पद के साथ फीस जुड़ी हो</p> |
|---|--|

- 51. Under the Explanation to Section 10 CPC (res sub judice), the pendency of a suit in a foreign Court:**

CPC

धारा 10 सि.प्र.सं. (विचाराधीन न्याय) के स्पष्टीकरण के अधीन किसी विदेशी न्यायालय में वाद का लंबित होना:

- | | |
|--|--|
| <p>(A) Requires the Indian Court to stay the suit automatically
भारतीय न्यायालय को स्वतः वाद रोकने के लिए बाध्य करता है</p> <p>(C) Does not preclude the Courts in India from trying a suit founded on the same cause of action
उसी वाद-हेतुक पर आधारित वाद का विचारण करने से भारत के न्यायालयों को प्रवारित नहीं करता</p> | <p>(B) Requires transfer of the suit to the High Court
वाद को उच्च न्यायालय को अंतरित करना अपेक्षित करता है</p> <p>(D) Bars the Indian Court from trying the subsequent suit
भारतीय न्यायालय को पश्चात्कर्ती वाद के विचारण से वर्जित करता है</p> |
|--|--|

- 52. The principle of 'constructive res judicata' — any matter which might and ought to have been made a ground of defence or attack in the former suit shall be deemed to have been directly and substantially in issue — is contained in:**

CPC

'आन्वयिक प्राइन्सिपल' का सिद्धांत — कोई विषय जो पूर्ववर्ती वाद में प्रतिरक्षा या आक्रमण का आधार बनाया जा सकता था और बनाया जाना चाहिए था, प्रत्यक्षतः और सारतः विवाद्य समझा जाएगा — कहाँ अंतर्विष्ट है?

- | | |
|---|---|
| <p>(A) Explanation I to Section 11
धारा 11 का स्पष्टीकरण I</p> <p>(C) Explanation VI to Section 11
धारा 11 का स्पष्टीकरण VI</p> | <p>(B) Explanation IV to Section 11
धारा 11 का स्पष्टीकरण IV</p> <p>(D) Explanation VIII to Section 11
धारा 11 का स्पष्टीकरण VIII</p> |
|---|---|

- 53. Which of the following is NOT a ground under Section 13 CPC on which a foreign judgment is not conclusive?**

CPC

निम्नलिखित में से कौन-सा धारा 13 सि.प्र.सं. के अधीन ऐसा आधार नहीं है जिस पर विदेशी निर्णय निश्चायक नहीं होता?

- | | |
|--|--|
| <p>(A) It has not been pronounced by a Court of competent jurisdiction
वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुनाया गया है</p> <p>(C) It has not been given on the merits of the case
वह मामले के गुणागुण पर नहीं दिया गया है</p> | <p>(B) It has been pronounced by a Court of a non-reciprocating territory
वह किसी अव्यतिकारी राज्यक्षेत्र के न्यायालय द्वारा सुनाया गया है</p> <p>(D) It has been obtained by fraud
वह कपट द्वारा अभिप्राप्त किया गया है</p> |
|--|--|



54. Under Section 14 CPC, on production of a document purporting to be a certified copy of a foreign judgment, the Court:

CPC

धारा 14 सि.प्र.सं. के अधीन विदेशी निर्णय की प्रमाणित प्रति तात्पर्यित दस्तावेज पेश किए जाने पर न्यायालय:

- | | |
|--|---|
| <p>(A) May presume that the judgment was given on merits
उपधारणा कर सकेगा कि निर्णय गुणागुण पर दिया गया था</p> <p>(C) Shall require the decree-holder to prove jurisdiction by oral evidence
डिक्रीदार से मौखिक साक्ष्य द्वारा अधिकारिता साबित करने की अपेक्षा करेगा</p> | <p>(B) Shall presume that the judgment was pronounced by a Court of competent jurisdiction, unless the contrary appears on the record
उपधारणा करेगा कि निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया था, जब तक अभिलेख से प्रतिकूल प्रतीत न हो</p> <p>(D) Shall treat the judgment as conclusive proof of all matters
निर्णय को सभी विषयों का निश्चयक सबूत मानेगा</p> |
|--|---|

55. Under Section 15 CPC, every suit shall be instituted in:

CPC

धारा 15 सि.प्र.सं. के अधीन प्रत्येक वाद संस्थित किया जाएगा:

- | | |
|---|--|
| <p>(A) The Court chosen by the plaintiff without restriction
वादी द्वारा बिना किसी प्रतिबंध के चुने गए न्यायालय में</p> <p>(C) The Court of the highest grade in the district
जिले के उच्चतम श्रेणी के न्यायालय में</p> | <p>(B) The High Court, if the value exceeds one lakh rupees
उच्च न्यायालय में, यदि मूल्य एक लाख रुपये से अधिक हो</p> <p>(D) The Court of the lowest grade competent to try it
उसका विचारण करने के लिए सक्षम निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में</p> |
|---|--|

56. Under Section 80(1) CPC, no suit shall be instituted against the Government or a public officer (in respect of an act purporting to be done in official capacity) until the expiration of how much time after notice in writing has been delivered?

CPC

धारा 80(1) सि.प्र.सं. के अधीन सरकार या लोक अधिकारी (पदीय हैसियत में किए गए तात्पर्यित कार्य के संबंध में) के विरुद्ध कोई वाद लिखित सूचना परिदत्त किए जाने के पश्चात् कितनी अवधि की समाप्ति तक संस्थित नहीं किया जाएगा?

- | | |
|--|--|
| <p>(A) Two months
दो मास</p> <p>(C) Three months
तीन मास</p> | <p>(B) One month
एक मास</p> <p>(D) Fifteen days
पंद्रह दिन</p> |
|--|--|

57. Under Order VIII Rule 1 CPC (as amended in 2002), the defendant shall present a written statement within _____ from the date of service of summons, which may be extended by the Court for reasons recorded, but not later than _____ from the date of service.

CPC

आदेश VIII नियम 1 सि.प्र.सं. (2002 में यथा संशोधित) के अधीन प्रतिवादी समन की तामील की तारीख से _____ के भीतर लिखित कथन प्रस्तुत करेगा, जिसे न्यायालय लेखबद्ध कारणों से बढ़ा सकता है, किन्तु तामील की तारीख से _____ से अधिक नहीं।

- | | |
|---|---|
| <p>(A) Fifteen days; sixty days
पंद्रह दिन; साठ दिन</p> <p>(C) Sixty days; ninety days
साठ दिन; नब्बे दिन</p> | <p>(B) Thirty days; ninety days
तीस दिन; नब्बे दिन</p> <p>(D) Thirty days; one hundred and twenty days
तीस दिन; एक सौ बीस दिन</p> |
|---|---|



- 58.** Where there are numerous persons having the same interest in one suit, one or more of them may, with the permission of the Court, sue or be sued on behalf of all. This 'representative suit' is provided in:

CPC

जहाँ एक ही वाद में एक ही हित रखने वाले अनेक व्यक्ति हों, वहाँ उनमें से एक या अधिक, न्यायालय की अनुज्ञा से, सभी की ओर से वाद ला सकते हैं या उन पर वाद लाया जा सकता है। यह 'प्रतिनिधि वाद' कहाँ उपबंधित है?

- (A) Order XXIII Rule 1
आदेश XXIII नियम 1
- (B) Order II Rule 2
आदेश II नियम 2
- (C) Order I Rule 8
आदेश I नियम 8
- (D) Order I Rule 10
आदेश I नियम 10

- 59.** Under Section 2(d) of the Indian Contract Act, 1872, an act or abstinence constitutes consideration when it is done or promised:

Contract

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2(घ) के अधीन कोई कार्य या प्रवृत्ति प्रतिफल तब होता है जब वह किया जाए या वचन दिया जाए:

- (A) At the desire of the promisor
वचनदाता की वांछा पर
- (B) At the desire of the promisee only
केवल वचनग्रहीता की वांछा पर
- (C) At the desire of the Court
न्यायालय की वांछा पर
- (D) At the desire of any stranger, even without the promisor's desire
वचनदाता की वांछा के बिना भी किसी अजनबी की वांछा पर

- 60.** Match List-I with List-II under Section 2 of the Indian Contract Act, 1872: List-I: (a) Every promise and every set of promises forming consideration for each other (b) An agreement not enforceable by law (c) An agreement enforceable at the option of one or more parties but not at the option of the other(s) (d) A contract which ceases to be enforceable by law List-II: (1) Void agreement – Section 2(g) (2) Becomes void – Section 2(j) (3) Agreement – Section 2(e) (4) Voidable contract – Section 2(i)

Contract

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 2 के अधीन सूची-I को सूची-II से सुमेलित कीजिए: सूची-I: (a) हर एक वचन और ऐसे वचनों का हर एक संवर्ग जो एक-दूसरे का प्रतिफल हो (b) विधि द्वारा प्रवर्तनीय न होने वाला करार (c) ऐसा करार जो एक या अधिक पक्षकारों के विकल्प पर प्रवर्तनीय हो किन्तु अन्य के विकल्प पर नहीं (d) ऐसी संविदा जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती सूची-II: (1) शून्य करार – धारा 2(घ) (2) शून्य हो जाती है – धारा 2(ज) (3) करार – धारा 2(ड) (4) शून्यकरणीय संविदा – धारा 2(झ)

- (A) a-1, b-3, c-4, d-2
a-1, b-3, c-4, d-2
- (B) a-3, b-1, c-4, d-2
a-3, b-1, c-4, d-2
- (C) a-3, b-1, c-2, d-4
a-3, b-1, c-2, d-4
- (D) a-3, b-4, c-1, d-2
a-3, b-4, c-1, d-2



- 61. A proposes by letter to sell his house to B. B accepts by a properly addressed letter posted on 10th March, which reaches A on 13th March. Under Section 4 of the Indian Contract Act, communication of acceptance is complete as against A on:**

Contract

A, B को पत्र द्वारा अपना मकान बेचने की प्रस्थापना करता है। B 10 मार्च को उचित पते पर पत्र डाक में डालकर प्रतिग्रहण करता है, जो A को 13 मार्च को मिलता है। भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 4 के अधीन A के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होती है:

- (A) 10th March, when the letter is put in the course of transmission
10 मार्च को, जब पत्र पारेषण के अनुक्रम में डाल दिया गया
- (B) 13th March, when the letter reaches A
13 मार्च को, जब पत्र A को मिला
- (C) When B receives an acknowledgement from A
जब B को A से अभिस्वीकृति प्राप्त होती है
- (D) When A reads the letter
जब A पत्र पढ़ता है

- 62. Under Section 5 of the Indian Contract Act, 1872, a proposal may be revoked at any time:**

Contract

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 5 के अधीन प्रस्थापना किसी भी समय प्रतिसंहत की जा सकती है:

- (A) Before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards
प्रस्थापक के विरुद्ध उसके प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होने से पूर्व, किन्तु पश्चात् नहीं
- (B) Even after the acceptance is complete as against both parties
दोनों पक्षकारों के विरुद्ध प्रतिग्रहण पूर्ण हो जाने के पश्चात् भी
- (C) Only within 24 hours of making it
केवल उसे करने के 24 घंटे के भीतर
- (D) Before the communication of its acceptance is complete as against the acceptor, but not afterwards
प्रतिग्रहीता के विरुद्ध उसके प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होने से पूर्व, किन्तु पश्चात् नहीं

- 63. Which of the following is NOT a mode of revocation of a proposal mentioned in Section 6 of the Indian Contract Act, 1872?**

Contract

निम्नलिखित में से कौन-सा भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 6 में वर्णित प्रस्थापना के प्रतिसंहरण का ढंग नहीं है?

- (A) Failure of the acceptor to fulfil a condition precedent to acceptance
प्रतिग्रहीता द्वारा प्रतिग्रहण की पुरोभाव्य शर्त पूरी करने में विफलता
- (B) Death of the acceptor before acceptance
प्रतिग्रहण से पूर्व प्रतिग्रहीता की मृत्यु
- (C) Communication of notice of revocation by the proposer
प्रस्थापक द्वारा प्रतिसंहरण की सूचना की संसूचना
- (D) Lapse of the time prescribed for acceptance or of a reasonable time
प्रतिग्रहण हेतु विहित समय या युक्तियुक्त समय का बीत जाना

- 64. In which case did the Privy Council hold that an agreement with a minor is void ab initio?**

Contract

किस मामले में प्रिवी कौंसिल ने अभिनिर्धारित किया कि अवयस्क के साथ करार प्रारंभ से ही शून्य है?

- (A) Satyabrata Ghose v. Mugneeram Bangur (1954)
सत्यब्रत घोष बनाम मुगनीराम बांगुर (1954)
- (B) Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose (1903)
मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903)
- (C) Lalman Shukla v. Gauri Dutt (1913)
लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त (1913)
- (D) Khan Gul v. Lakha Singh (1928)
खान गुल बनाम लाखा सिंह (1928)



65. Under Section 11 of the Indian Contract Act, 1872, which of the following persons is competent to contract?

Contract

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 11 के अधीन निम्नलिखित में से कौन संविदा करने के लिए सक्षम है?

- | | |
|---|--|
| <p>(A) A person who has attained majority according to the law to which he is subject, is of sound mind and is not disqualified by law
वह व्यक्ति जो अपनी स्वीय विधि के अनुसार प्राप्तवय है, स्वस्थचित है और विधि द्वारा निरहित नहीं है</p> <p>(C) Any person who is of sound mind, irrespective of age
कोई स्वस्थचित व्यक्ति, आयु चाहे जो हो</p> | <p>(B) Any person who has attained the age of sixteen years
कोई व्यक्ति जिसने सोलह वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है</p> <p>(D) Any person who has attained majority, even if disqualified by law
कोई प्राप्तवय व्यक्ति, भले ही विधि द्वारा निरहित हो</p> |
|---|--|

66. Under Section 6 of the Specific Relief Act, 1963, a suit by a person dispossessed of immovable property without his consent otherwise than in due course of law must be brought within:

Specific Relief

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 6 के अधीन ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसे उसकी सम्मति के बिना विधि के सम्यक् अनुक्रम से अन्यथा स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किया गया है, वाद कितनी अवधि में लाया जाना चाहिए?

- | | |
|---|--|
| <p>(A) Three years from the date of dispossession
बेकब्जा किए जाने की तारीख से तीन वर्ष</p> <p>(C) One year from the date of dispossession
बेकब्जा किए जाने की तारीख से एक वर्ष</p> | <p>(B) Twelve years from the date of dispossession
बेकब्जा किए जाने की तारीख से बारह वर्ष</p> <p>(D) Six months from the date of dispossession
बेकब्जा किए जाने की तारीख से छह मास</p> |
|---|--|

67. Which of the following statements regarding Section 6 of the Specific Relief Act, 1963 is NOT correct?

Specific Relief

विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 की धारा 6 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सही नहीं है?

- | | |
|---|---|
| <p>(A) A person may still sue to establish his title and recover possession after the Section 6 suit
धारा 6 के वाद के पश्चात् भी व्यक्ति अपना हक स्थापित कर कब्जा वापस पाने हेतु वाद ला सकता है</p> <p>(C) The dispossessed person may recover possession notwithstanding any other title set up in such suit
बेकब्जा व्यक्ति ऐसे वाद में खड़े किए गए किसी अन्य हक के होते हुए भी कब्जा वापस पा सकता है</p> | <p>(B) No suit under Section 6 can be brought against the Government
धारा 6 के अधीन सरकार के विरुद्ध कोई वाद नहीं लाया जा सकता</p> <p>(D) An appeal lies from a decree passed in a suit under Section 6
धारा 6 के अधीन वाद में पारित डिक्री की अपील होती है</p> |
|---|---|

68. After the Specific Relief (Amendment) Act, 2018, the specific performance of a contract under Section 10:

Specific Relief

विनिर्दिष्ट अनुतोष (संशोधन) अधिनियम, 2018 के पश्चात् धारा 10 के अधीन संविदा का विनिर्दिष्ट पालन:

- | | |
|---|--|
| <p>(A) Has been abolished and replaced by compensation
समाप्त कर प्रतिकर से प्रतिस्थापित कर दिया गया है</p> <p>(C) Shall be enforced by the Court, subject to Sections 11(2), 14 and 16
न्यायालय द्वारा, धारा 11(2), 14 और 16 के अध्याधीन, प्रवर्तित किया जाएगा</p> | <p>(B) Remains purely discretionary and is granted only when compensation is inadequate
पूर्णतः विवेकाधीन बना रहता है और केवल तभी दिया जाता है जब प्रतिकर अपर्याप्त हो</p> <p>(D) Can be granted only for contracts relating to movable property
केवल जंगम संपत्ति से संबंधित संविदाओं में दिया जा सकता है</p> |
|---|--|



- 69. Assertion (A): Under Section 3 of the Transfer of Property Act, 1882, 'immovable property' does not include standing timber, growing crops or grass. Reason (R): Standing timber, growing crops and grass are never attached to the earth.**

TPA

अभिकथन (A): संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 के अधीन 'स्थावर संपत्ति' में खड़ी इमारती लकड़ी, उगती फसलें या घास सम्मिलित नहीं हैं। कारण (R): खड़ी इमारती लकड़ी, उगती फसलें और घास कभी भूमि से संलग्न नहीं होतीं।

- | | |
|--|--|
| (A) A is false but R is true
A असत्य है किन्तु R सत्य है | (B) A is true but R is false
A सत्य है किन्तु R असत्य है |
| (C) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है | (D) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
A और R दोनों सत्य हैं किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है |

- 70. Under Section 3 of the Transfer of Property Act, 1882, an instrument is 'attested' when it is attested by:**

TPA

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 3 के अधीन लिखत 'अनुप्रमाणित' तब है जब वह अनुप्रमाणित की गई हो:

- | | |
|---|--|
| (A) Three or more witnesses
तीन या अधिक साक्षियों द्वारा | (B) At least one witness
कम से कम एक साक्षी द्वारा |
| (C) A Sub-Registrar
उप-रजिस्ट्रार द्वारा | (D) Two or more witnesses
दो या अधिक साक्षियों द्वारा |

- 71. Under Explanation I to the definition of 'a person is said to have notice' in Section 3 TPA, where a transaction relating to immovable property is required by law to be and has been effected by a registered instrument, any person acquiring such property is deemed to have notice of that instrument from:**

TPA

धारा 3 संपत्ति अंतरण अधिनियम में 'किसी व्यक्ति को सूचना है' की परिभाषा के स्पष्टीकरण I के अधीन जहाँ स्थावर संपत्ति संबंधी कोई संव्यवहार विधि द्वारा रजिस्ट्रीकृत लिखत द्वारा किया जाना अपेक्षित है और किया गया है, वहाँ ऐसी संपत्ति अर्जित करने वाला व्यक्ति उस लिखत की सूचना रखने वाला समझा जाएगा:

- | | |
|---|--|
| (A) The date of registration
रजिस्ट्रीकरण की तारीख से | (B) The date he actually reads the instrument
उस तारीख से जब वह वस्तुतः लिखत पढ़ता है |
| (C) The date of execution, even if never registered
निष्पादन की तारीख से, भले ही रजिस्ट्रीकृत न हुई हो | (D) The date of delivery of possession
कब्जा परिदत्त किए जाने की तारीख से |

- 72. Under Section 5 of the Transfer of Property Act, 1882, 'living person' includes:**

TPA

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 की धारा 5 के अधीन 'जीवित व्यक्ति' में सम्मिलित है:

- | | |
|--|---|
| (A) Only companies registered under the Companies Act
केवल कंपनी अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत कंपनियाँ | (B) Only natural persons who have attained majority
केवल प्राप्तवय प्राकृतिक व्यक्ति |
| (C) A company or association or body of individuals, whether incorporated or not
कंपनी या संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं | (D) An unborn person
अजन्मा व्यक्ति |



73. Which of the following CAN be transferred under the Transfer of Property Act, 1882?

TPA

संपत्ति अंतरण अधिनियम, 1882 के अधीन निम्नलिखित में से किसका अंतरण किया जा सकता है?

- | | |
|---|--|
| <p>(A) An actionable claim
अनुयोज्य दावा</p> <p>(C) A right to future maintenance
भावी भरण-पोषण का अधिकार</p> | <p>(B) A mere right to sue
वाद लाने का मात्र अधिकार</p> <p>(D) The chance of an heir-apparent succeeding to an estate (spes successionis)
किसी संपदा में प्रत्यक्ष वारिस के उत्तराधिकारी होने की संभावना (स्पेस सक्सेशनिस)</p> |
|---|--|

74. Under Section 15 of the Indian Easements Act, 1882, an easement (other than one against the Government) is acquired by prescription when it has been peaceably and openly enjoyed as an easement and as of right, without interruption, for:

TPA

भारतीय सुखाचार अधिनियम, 1882 की धारा 15 के अधीन सुखाचार (सरकार के विरुद्ध से भिन्न) चिन्मोग द्वारा तब अर्जित होता है जब उसका शांतिपूर्वक और खुले रूप से, सुखाचार के रूप में और अधिकारस्वरूप, बिना विघ्न के कितने वर्ष उपभोग किया गया हो?

- | | |
|--|---|
| <p>(A) Thirty years
तीस वर्ष</p> <p>(C) Twelve years
बारह वर्ष</p> | <p>(B) Ten years
दस वर्ष</p> <p>(D) Twenty years
बीस वर्ष</p> |
|--|---|

75. Assertion (A): A suit instituted after the prescribed period of limitation must be dismissed even though limitation has not been set up as a defence. Reason (R): Section 3 of the Limitation Act, 1963 provides that, subject to Sections 4 to 24, every suit instituted after the prescribed period shall be dismissed, although limitation has not been set up as a defence.

Limitation

अभिकथन (A): विहित परिसीमा काल के पश्चात् संस्थित वाद खारिज किया जाना चाहिए, भले ही परिसीमा को प्रतिरक्षा के रूप में न उठाया गया हो। कारण (R): परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3 उपबंध करती है कि धारा 4 से 24 के अध्याधीन, विहित काल के पश्चात् संस्थित प्रत्येक वाद खारिज किया जाएगा, यद्यपि परिसीमा को प्रतिरक्षा के रूप में न उठाया गया हो।

- | | |
|--|--|
| <p>(A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A
A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है</p> <p>(C) A is false but R is true
A असत्य है किन्तु R सत्य है</p> | <p>(B) Both A and R are true but R is not the correct explanation of A
A और R दोनों सत्य हैं किन्तु R, A की सही व्याख्या नहीं है</p> <p>(D) A is true but R is false
A सत्य है किन्तु R असत्य है</p> |
|--|--|

76. Under Section 3(2)(a) of the Limitation Act, 1963, in the case of a person who is permitted to sue as an indigent person, a suit is instituted when:

Limitation

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 3(2)(क) के अधीन ऐसे व्यक्ति के मामले में जिसे निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की अनुज्ञा दी गई है, वाद तब संस्थित होता है जब:

- | | |
|---|--|
| <p>(A) Summons is served on the defendant
प्रतिवादी पर समन तामील होता है</p> <p>(C) Court fee is subsequently paid
पश्चात् न्यायालय फीस संदत्त की जाती है</p> | <p>(B) His application for leave to sue as an indigent person is made
निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की इजाजत के लिए उसका आवेदन किया जाता है</p> <p>(D) The application is allowed by the Court
न्यायालय द्वारा आवेदन मंजूर किया जाता है</p> |
|---|--|



77. Section 5 of the Limitation Act, 1963 (extension of prescribed period on sufficient cause) does NOT apply to:

Limitation

परिसीमा अधिनियम, 1963 की धारा 5 (पर्याप्त हेतुक पर विहित काल का विस्तार) किस पर लागू नहीं होती?

- | | |
|----------------------------|--|
| (A) Revisions
पुनरीक्षण | (B) Appeals
अपीलें |
| (C) Suits
वाद | (D) Applications other than those under Order XXI CPC
सि.प्र.सं. के आदेश XXI के अधीन आवेदनों से भिन्न आवेदन |

78. Under Article 65 of the Schedule to the Limitation Act, 1963, the period of limitation for a suit for possession of immovable property or any interest therein based on title is:

Limitation

परिसीमा अधिनियम, 1963 की अनुसूची के अनुच्छेद 65 के अधीन हक पर आधारित स्थावर संपत्ति या उसमें किसी हित के कब्जे के लिए वाद की परिसीमा अवधि है:

- | | |
|---|---|
| (A) Three years from the date of dispossession
बेकब्जा किए जाने की तारीख से तीन वर्ष | (B) Thirty years from when possession becomes adverse
तीस वर्ष, जब कब्जा प्रतिकूल हो जाता है |
| (C) Twelve years from the date of dispossession, irrespective of adverse possession
प्रतिकूल कब्जे पर ध्यान दिए बिना, बेकब्जा किए जाने की तारीख से बारह वर्ष | (D) Twelve years from when the possession of the defendant becomes adverse to the plaintiff
बारह वर्ष, जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के प्रतिकूल हो जाता है |

79. Under Section 5(iii) of the Hindu Marriage Act, 1955, the minimum ages of the bridegroom and the bride at the time of marriage are respectively:

Hindu Law

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 5(iii) के अधीन विवाह के समय वर और वधू की न्यूनतम आयु क्रमशः है:

- | | |
|---|---|
| (A) 21 years and 18 years
21 वर्ष और 18 वर्ष | (B) 18 years and 18 years
18 वर्ष और 18 वर्ष |
| (C) 21 years and 21 years
21 वर्ष और 21 वर्ष | (D) 18 years and 16 years
18 वर्ष और 16 वर्ष |

80. Under Section 13B of the Hindu Marriage Act, 1955, a petition for divorce by mutual consent may be presented by the parties who have been living separately for a period of:

Hindu Law

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13B के अधीन पारस्परिक सम्मति से विवाह-विच्छेद की याचिका ऐसे पक्षकार प्रस्तुत कर सकते हैं जो कितनी अवधि से पृथक् रह रहे हों?

- | | |
|---|--|
| (A) One year or more
एक वर्ष या अधिक | (B) Six months or more
छह मास या अधिक |
| (C) Three years or more
तीन वर्ष या अधिक | (D) Two years or more
दो वर्ष या अधिक |



- 81. In Vineeta Sharma v. Rakesh Sharma (2020), the Supreme Court held that under the amended Section 6 of the Hindu Succession Act, 1956, a daughter is a coparcener by birth:**

Hindu Law

विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा (2020) में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 की संशोधित धारा 6 के अधीन पुत्री जन्म से सहदायिक है:

- | | |
|---|---|
| (A) Only if she was born after 9 September 2005
केवल तभी जब वह 9 सितंबर 2005 के पश्चात् जन्मी हो | (B) Only if her father was alive on 9 September 2005
केवल तभी जब उसके पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित थे |
| (C) Irrespective of whether her father was alive on 9 September 2005
इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उसके पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित थे या नहीं | (D) Only if she is unmarried
केवल तभी जब वह अविवाहित हो |

- 82. Under Section 11 of the Hindu Adoptions and Maintenance Act, 1956, if a male adopts a female, the adoptive father must be older than the person to be adopted by at least:**

Hindu Law

हिंदू दत्तक तथा भरण-पोषण अधिनियम, 1956 की धारा 11 के अधीन यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को दत्तक लेता है, तो दत्तक पिता दत्तक लिए जाने वाले व्यक्ति से कम से कम कितने वर्ष बड़ा होना चाहिए?

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| (A) Fifteen years
पंद्रह वर्ष | (B) Eighteen years
अठारह वर्ष |
| (C) Twenty-five years
पच्चीस वर्ष | (D) Twenty-one years
इक्कीस वर्ष |

- 83. In Githa Hariharan v. Reserve Bank of India (1999), the Supreme Court interpreted the word 'after' in Section 6(a) of the Hindu Minority and Guardianship Act, 1956 to mean:**

Hindu Law

गीता हरिहरन बनाम भारतीय रिज़र्व बैंक (1999) में उच्चतम न्यायालय ने हिंदू अप्राप्तवयता और संरक्षकता अधिनियम, 1956 की धारा 6(क) में 'पश्चात्' शब्द का अर्थ लगाया:

- | | |
|--|--|
| (A) 'After the order of the Guardian Court'
'संरक्षक न्यायालय के आदेश के पश्चात्' | (B) 'After the minor attains the age of five years'
'अवयस्क के पाँच वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात्' |
| (C) Only 'after the death of' the father
केवल पिता की 'मृत्यु के पश्चात्' | (D) 'In the absence of' the father, not necessarily after his lifetime
पिता की 'अनुपस्थिति में', आवश्यक रूप से उसके जीवनकाल के पश्चात् नहीं |

- 84. Under the Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act, 2019, pronouncement of talaq-e-biddat (instant triple talaq) by a Muslim husband is:**

Muslim Law

मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 के अधीन मुस्लिम पति द्वारा तलाक-ए-बिद्दत (तत्काल तीन तलाक) की उद्घोषणा:

- | | |
|--|--|
| (A) Revocable within the period of iddat
इद्दत की अवधि के भीतर प्रतिसंहरणीय है | (B) Valid if pronounced in the presence of two witnesses
दो साक्षियों की उपस्थिति में उद्घोषित होने पर विधिमान्य है |
| (C) Void and illegal, and punishable with imprisonment up to three years and fine
शून्य और अवैध है, तथा तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय है | (D) Valid but punishable with fine only
विधिमान्य है किन्तु केवल जुर्माने से दंडनीय है |



85. Under Muslim law, the period of iddat for a widow who is not pregnant at the time of her husband's death is:

Muslim Law

मुस्लिम विधि के अधीन ऐसी विधवा के लिए, जो पति की मृत्यु के समय गर्भवती नहीं है, इद्दत की अवधि है:

- | | |
|---|---|
| (A) Until she remarries
उसके पुनर्विवाह तक | (B) Four months and ten days
चार मास और दस दिन |
| (C) Three lunar months
तीन चांद्र मास | (D) Three menstrual courses
तीन मासिक धर्म |

86. Which of the following is NOT an essential of a valid hiba (gift) under Muslim law?

Muslim Law

मुस्लिम विधि के अधीन वैध हिबा (दान) का निम्नलिखित में से कौन-सा आवश्यक तत्व नहीं है?

- | | |
|--|---|
| (A) Registration of a written deed of gift
लिखित दान-पत्र का रजिस्ट्रीकरण | (B) Declaration of gift by the donor
दाता द्वारा दान की घोषणा |
| (C) Acceptance of the gift by the donee
आदाता द्वारा दान का प्रतिग्रहण | (D) Delivery of possession of the subject of gift
दान की विषय-वस्तु के कब्जे का परिदान |

87. Under Muslim law, a Muslim can bequeath by will, without the consent of his heirs, up to what portion of his net estate (after payment of funeral expenses and debts)?

Muslim Law

मुस्लिम विधि के अधीन कोई मुसलमान अपने वारिसों की सम्मति के बिना अपनी शुद्ध संपदा (अंत्येष्टि व्यय और ऋण चुकाने के पश्चात्) के कितने भाग तक की वसीयत कर सकता है?

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| (A) One-fourth
एक-चौथाई | (B) One-third
एक-तिहाई |
| (C) One-half
आधा | (D) The whole
संपूर्ण |

88. The rule of 'absolute liability' for enterprises engaged in hazardous or inherently dangerous activities, without the exceptions available under Rylands v. Fletcher, was laid down by the Supreme Court in:

Torts

संकटपूर्ण या स्वभावतः खतरनाक क्रियाकलाप में लगे उद्यमों के लिए, रायलैन्ड्स बनाम फ्लेचर के अपवादों के बिना, 'आत्यंतिक दायित्व' का नियम उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में प्रतिपादित किया?

- | | |
|---|--|
| (A) Indian Council for Enviro-Legal Action v. Union of India (1996)
इंडियन काउंसिल फॉर एन्वायरों-लीगल एक्शन बनाम भारत संघ (1996) | (B) Vellore Citizens' Welfare Forum v. Union of India (1996)
वेल्लोर सिटिज़न्स वेलफेयर फोरम बनाम भारत संघ (1996) |
| (C) Union Carbide Corporation v. Union of India (1989)
यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन बनाम भारत संघ (1989) | (D) M.C. Mehta v. Union of India (Oleum Gas Leak case, 1987)
एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस रिसाव मामला, 1987) |



- 89. Ashby v. White (1703), in which a returning officer wrongfully refused to register a qualified voter's vote though the candidate he wished to vote for won, is the leading authority for the maxim:**

Torts

एशबी बनाम व्हाइट (1703), जिसमें निर्वाचन अधिकारी ने एक योग्य मतदाता का मत सदोष रूप से दर्ज करने से इनकार कर दिया यद्यपि उसका इच्छित प्रत्याशी जीत गया, किस सूत्र का प्रमुख प्राधिकार है?

- | | |
|---|---|
| (A) Volenti non fit injuria
वोलेंटी नॉन फिट इंजुरिया | (B) Damnum sine injuria
डैमन साइन इंजुरिया (विधिक हानि के बिना वास्तविक क्षति) |
| (C) Res ipsa loquitur
रेस इप्सा लोक्विटर | (D) Injuria sine damno
इंजुरिया साइन डैमनो (वास्तविक क्षति के बिना विधिक हानि) |

- 90. "Law is the command of the sovereign backed by sanction" — this definition of law is associated with:**

Jurisprudence

"विधि संप्रभु का समादेश है जिसके पीछे शास्ति है" — विधि की यह परिभाषा किससे संबद्ध है?

- | | |
|---|----------------------------------|
| (A) John Austin
जॉन ऑस्टिन | (B) Hans Kelsen
हान्स केल्सन |
| (C) Friedrich Carl von Savigny
फ्रेडरिक कार्ल वॉन सेविनी | (D) Roscoe Pound
रॉस्को पाउंड |

- 91. The concept of 'Volksgeist' (spirit of the people) as the source of law belongs to which school of jurisprudence?**

Jurisprudence

विधि के स्रोत के रूप में 'वोल्क्सगाइस्ट' (लोक-चेतना) की अवधारणा विधिशास्त्र के किस संप्रदाय से संबंधित है?

- | | |
|---|--|
| (A) Realist school (Holmes)
यथार्थवादी संप्रदाय (होम्स) | (B) Sociological school (Ihering)
समाजशास्त्रीय संप्रदाय (इहरिंग) |
| (C) Analytical school (Austin)
विश्लेषणात्मक संप्रदाय (ऑस्टिन) | (D) Historical school (Savigny)
ऐतिहासिक संप्रदाय (सेविनी) |

- 92. The 'mischief rule' of interpretation of statutes was laid down in:**

Interpretation

कानूनों के निर्वचन का 'रिश्ति नियम' (मिसचीफ रूल) किस मामले में प्रतिपादित किया गया?

- | | |
|--|---|
| (A) Heydon's case (1584)
हेडन का मामला (1584) | (B) Sussex Peerage case (1844)
ससेक्स पीयरेंज मामला (1844) |
| (C) Grey v. Pearson (1857)
ग्रे बनाम पियर्सन (1857) | (D) Magor and St. Mellons RDC v. Newport Corporation (1952)
मैगोर एंड सेंट मेलन्स आर.डी.सी. बनाम न्यूपोर्ट कॉर्पोरेशन (1952) |

- 93. In which case did the Supreme Court hold that the 'procedure established by law' under Article 21 must be just, fair and reasonable, and not arbitrary, fanciful or oppressive?**

Landmark Judgments

किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद 21 के अधीन 'विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया' न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए, न कि मनमानी, काल्पनिक या दमनकारी?

- | | |
|--|--|
| (A) Maneka Gandhi v. Union of India (1978)
मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) | (B) A.K. Gopalan v. State of Madras (1950)
ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य (1950) |
| (C) ADM Jabalpur v. Shivkant Shukla (1976)
ए.डी.एम. जबलपुर बनाम शिवकांत शुक्ला (1976) | (D) Kharak Singh v. State of U.P. (1963)
खड़क सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य (1963) |



- 94. Guidelines for prevention of sexual harassment of women at the workplace, which held the field until the enactment of the Sexual Harassment of Women at Workplace Act, 2013, were laid down in:**

Landmark Judgments

कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिक उत्पीड़न के निवारण हेतु दिशानिर्देश, जो कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम, 2013 के अधिनियमन तक प्रभावी रहे, किस मामले में निर्धारित किए गए?

- | | |
|---|---|
| (A) Vishaka v. State of Rajasthan (1997)
विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) | (B) Apparel Export Promotion Council v. A.K. Chopra (1999)
अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल बनाम ए.के.चोपड़ा (1999) |
| (C) Medha Kotwal Lele v. Union of India (2012)
मेधा कोतवाल लेले बनाम भारत संघ (2012) | (D) Mary Roy v. State of Kerala (1986)
मैरी रॉय बनाम केरल राज्य (1986) |

- 95. In Justice K.S. Puttaswamy (Retd.) v. Union of India (2017), a bench of how many judges unanimously held that the right to privacy is a fundamental right?**

Landmark Judgments

न्यायमूर्ति केएस. पुट्टस्वामी (सेवानिवृत्त) बनाम भारत संघ (2017) में कितने न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से अभिनिर्धारित किया कि निजता का अधिकार मूल अधिकार है?

- | | |
|------------------|----------------------|
| (A) Seven
सात | (B) Eleven
ग्यारह |
| (C) Five
पाँच | (D) Nine
नौ |

- 96. In Navtej Singh Johar v. Union of India (2018), the Supreme Court:**

Landmark Judgments

नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ (2018) में उच्चतम न्यायालय ने:

- | | |
|--|--|
| (A) Struck down Section 497 IPC (adultery)
भा.दं.सं. की धारा 497 (जारकर्म) को निरस्त किया | (B) Upheld Section 377 IPC in its entirety
भा.दं.सं. की धारा 377 को संपूर्णतः वैध ठहराया |
| (C) Recognised transgender persons as the 'third gender'
ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को 'तृतीय लिंग' के रूप में मान्यता दी | (D) Read down Section 377 IPC to decriminalise consensual sexual acts between adults in private
वयस्कों के बीच एकांत में सहमति से किए गए लैंगिक कृत्यों को अपराधमुक्त करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 377 को सीमित रूप में पढ़ा |

- 97. In Lalita Kumari v. Government of Uttar Pradesh (2013), a Constitution Bench of the Supreme Court held that:**

Landmark Judgments

ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश सरकार (2013) में उच्चतम न्यायालय की संविधान पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि:

- | | |
|---|---|
| (A) An FIR can be registered only with the permission of a Magistrate
प्रथम सूचना रिपोर्ट केवल मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा से दर्ज की जा सकती है | (B) Registration of FIR is mandatory if the information discloses commission of a cognizable offence, though a preliminary inquiry is permissible in certain categories of cases
यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है, यद्यपि कुछ श्रेणियों के मामलों में प्रारंभिक जाँच अनुज्ञेय है |
| (C) A preliminary inquiry is mandatory before every FIR
प्रत्येक प्रथम सूचना रिपोर्ट से पूर्व प्रारंभिक जाँच अनिवार्य है | (D) Police always have discretion to refuse to register an FIR
पुलिस को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने से इनकार करने का सदैव विवेक है |



- 98. In Arnesh Kumar v. State of Bihar (2014), the Supreme Court issued directions to prevent unnecessary arrests, particularly in cases under Section 498A IPC, applicable to offences punishable with imprisonment for a term:**

Landmark Judgments

अर्णेश कुमार बनाम बिहार राज्य (2014) में उच्चतम न्यायालय ने अनावश्यक गिरफ्तारियाँ रोकने हेतु, विशेषकर भा.दं.सं. की धारा 498क के मामलों में, निर्देश जारी किए जो किस अवधि के कारावास से दंडनीय अपराधों पर लागू होते हैं?

- | | |
|---|---|
| (A) Not exceeding one year only
केवल एक वर्ष से अधिक | (B) Of life imprisonment only
केवल आजीवन कारावास |
| (C) Which may be less than seven years or which may extend to seven years
जो सात वर्ष से कम हो सकती है या सात वर्ष तक हो सकती है | (D) Exceeding ten years
दस वर्ष से अधिक |

- 99. In Mohd. Ahmed Khan v. Shah Bano Begum (1985), the Supreme Court held that:**

Landmark Judgments

मोहम्मद अहमद खान बनाम शाह बानो बेगम (1985) में उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि:

- | | |
|---|---|
| (A) Payment of mahr absolves the husband of all liability under Section 125 CrPC
मेहर का संदाय पति को धारा 125 द.प्र.सं. के अधीन सभी दायित्वों से मुक्त कर देता है | (B) A divorced Muslim wife unable to maintain herself is entitled to maintenance under Section 125 CrPC beyond the iddat period
स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी द.प्र.सं. की धारा 125 के अधीन इद्दत अवधि के पश्चात् भी भरण-पोषण की हकदार है |
| (C) Section 125 CrPC does not apply to Muslims
द.प्र.सं. की धारा 125 मुसलमानों पर लागू नहीं होती | (D) A divorced Muslim wife is entitled to maintenance only during iddat
तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी केवल इद्दत के दौरान भरण-पोषण की हकदार है |

- 100. Arrange the following cases in chronological order (earliest first): 1.**

Landmark Judgments

Kesavananda Bharati v. State of Kerala 2. A.K. Gopalan v. State of Madras 3. Maneka Gandhi v. Union of India 4. I.C. Golaknath v. State of Punjab

निम्नलिखित मामलों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए (सबसे पहला प्रथम): 1. केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 2. ए.के. गोपालन बनाम मद्रास राज्य 3. मेनका गांधी बनाम भारत संघ 4. आई.सी. गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| (A) 2, 1, 4, 3
2, 1, 4, 3 | (B) 4, 2, 1, 3
4, 2, 1, 3 |
| (C) 2, 4, 3, 1
2, 4, 3, 1 | (D) 2, 4, 1, 3
2, 4, 1, 3 |



Answer key · उत्तर कुंजी

1 B	2 D	3 C	4 C	5 A	6 C	7 A	8 A	9 A	10 B
11 C	12 B	13 C	14 D	15 D	16 B	17 C	18 C	19 B	20 C
21 C	22 B	23 A	24 A	25 B	26 C	27 D	28 D	29 D	30 D
31 D	32 B	33 C	34 B	35 D	36 B	37 B	38 C	39 D	40 C
41 C	42 D	43 C	44 B	45 A	46 A	47 A	48 C	49 A	50 C
51 C	52 B	53 B	54 B	55 D	56 A	57 B	58 C	59 A	60 B
61 A	62 A	63 B	64 B	65 A	66 D	67 D	68 C	69 B	70 D
71 A	72 C	73 A	74 D	75 A	76 B	77 C	78 D	79 A	80 A
81 C	82 D	83 D	84 C	85 B	86 A	87 B	88 D	89 D	90 A
91 D	92 A	93 A	94 A	95 D	96 D	97 B	98 C	99 B	100 D

Explanations · व्याख्या

1. (B) Article 1 — Article 1(1) declares that India, that is Bharat, shall be a Union of States. Article 2 deals with admission of new States, Article 3 with formation of new States and alteration of existing ones.

(B) अनुच्छेद 1 — अनुच्छेद 1(1) घोषित करता है कि भारत, अर्थात् इंडिया, राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 नए राज्यों के प्रवेश तथा अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण एवं विद्यमान राज्यों में परिवर्तन से संबंधित है।

2. (D) The President — The proviso to Article 3 requires the recommendation of the President; the President must also refer the Bill to the legislature of the affected State for its views, though those views are not binding.

(D) राष्ट्रपति — अनुच्छेद 3 के परन्तुक के अनुसार राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है; राष्ट्रपति विधेयक को प्रभावित राज्य के विधान-मंडल को उसके विचार जानने हेतु निर्देशित करता है, यद्यपि वे विचार बाध्यकारी नहीं हैं।

3. (C) Both A and R are true and R is the correct explanation of A — Both statements are true and R explains A: Article 4(2) expressly excludes laws under Articles 2 and 3 from being treated as amendments under Article 368, so they can be passed by simple majority.

(C) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है — दोनों कथन सत्य हैं और R, A की सही व्याख्या है: अनुच्छेद 4(2) अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन विधियों को अनुच्छेद 368 के संशोधन की श्रेणी से स्पष्ट: बाहर रखता है, अतः वे साधारण बहुमत से पारित हो सकती हैं।

4. (C) Socialist, Secular and Integrity — The 42nd Amendment inserted 'Socialist' and 'Secular' (describing the Republic) and changed 'unity of the Nation' to 'unity and integrity of the Nation'.

(C) समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता — 42वें संशोधन ने 'समाजवादी' और 'पंथनिरपेक्ष' शब्द जोड़े तथा 'राष्ट्र की एकता' को 'राष्ट्र की एकता और अखंडता' में परिवर्तित किया।

5. (A) Kesavananda Bharati v. State of Kerala (1973) — In In re Berubari Union (1960) the Court said the Preamble is not part of the Constitution; in Kesavananda Bharati (1973) the Court held that it is part of the Constitution.

(A) केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य (1973) — इन री बेरुबारी यूनियन (1960) में न्यायालय ने कहा था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं है; केशवानंद भारती (1973) में यह अभिनिर्धारित किया गया कि उद्देशिका संविधान का भाग है।



6. (C) Article 11 — Article 11 empowers Parliament to regulate the right of citizenship by law; the Citizenship Act, 1955 was enacted under it. Article 5 deals with citizenship at the commencement of the Constitution.

(C) अनुच्छेद 11 — अनुच्छेद 11 संसद को विधि द्वारा नागरिकता के अधिकार का विनियमन करने की शक्ति देता है; नागरिकता अधिनियम, 1955 इसी के अधीन बना। अनुच्छेद 5 संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता से संबंधित है।

7. (A) Article 10 – Persons voluntarily acquiring citizenship of a foreign State not to be citizens — Voluntary acquisition of foreign citizenship is dealt with by Article 9; Article 10 provides for continuance of the rights of citizenship. The other pairs are correct.

(A) अनुच्छेद 10 – विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना — विदेशी नागरिकता का स्वैच्छिक अर्जन अनुच्छेद 9 का विषय है; अनुच्छेद 10 नागरिकता के अधिकारों के बने रहने का उपबंध करता है। शेष युग्म सही हैं।

8. (A) Ajay Hasia v. Khalid Mujib Sehravardi (1981) — In Ajay Hasia (1981) the Court applied the 'instrumentality or agency of the State' tests and held the society running REC Srinagar to be 'State' under Article 12.

(A) अजय हसिया बनाम खालिद मुजीब सहरवर्दी (1981) — अजय हसिया (1981) में न्यायालय ने 'राज्य' का साधन या अभिकरण परीक्षणों को लागू कर आर.ई.सी. श्रीनगर का संचालन करने वाली सोसाइटी को अनुच्छेद 12 के अधीन 'राज्य' माना।

9. (A) 24th Amendment, 1971 — The Constitution (Twenty-fourth Amendment) Act, 1971 inserted Article 13(4) and Article 368(3) to nullify the effect of Golaknath (1967).

(A) 24वाँ संशोधन, 1971 — संविधान (चौबीसवाँ संशोधन) अधिनियम, 1971 ने गोलकनाथ (1967) के प्रभाव को निष्प्रभावी करने हेतु अनुच्छेद 13(4) और अनुच्छेद 368(3) जोड़े।

10. (B) E.P. Royappa v. State of Tamil Nadu (1974) — In E.P. Royappa (1974) Bhagwati J. observed that equality and arbitrariness are sworn enemies; an arbitrary act is unequal and violates Article 14.

(B) ई.पी. रोयप्पा बनाम तमिलनाडु राज्य (1974) — ई.पी. रोयप्पा (1974) में न्यायमूर्ति भगवती ने कहा कि समता और मनमानापन कट्टर शत्रु हैं; मनमाना कार्य असमान है और अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है।

11. (C) Article 15(3) — Article 15(3) states that nothing in Article 15 shall prevent the State from making any special provision for women and children. Clauses (4) and (5) relate to backward classes, SCs and STs.

(C) अनुच्छेद 15(3) — अनुच्छेद 15(3) कहता है कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को स्त्रियों और बालकों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। खंड (4) और (5) पिछड़े वर्गों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों से संबंधित हैं।

12. (B) A military or academic distinction — Article 18(1): no title, not being a military or academic distinction, shall be conferred by the State. In Balaji Raghavan v. Union of India (1996) national awards like Bharat Ratna were held not to be 'titles'.

(B) सेना या विद्या संबंधी सम्मान — अनुच्छेद 18(1): राज्य, सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय, कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। बालाजी राघवन बनाम भारत संघ (1996) में भारत रत्न जैसे राष्ट्रीय पुरस्कारों को 'उपाधि' नहीं माना गया।

13. (C) 358 — The BNS, 2023 has 358 sections (in force from 1 July 2024), replacing the IPC which had 511 sections. 531 is the number of sections in the BNSS.

(C) 358 — भारतीय न्याय संहिता, 2023 में 358 धाराएँ हैं (1 जुलाई 2024 से प्रवृत्त), जिसने 511 धाराओं वाली भारतीय दंड संहिता का स्थान लिया। 531 धाराएँ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हैं।

14. (D) Eighteen years — Section 2(3) BNS newly defines 'child' as any person below the age of eighteen years; the IPC contained no such general definition.

(D) अठारह वर्ष से — भा.न्या.सं. की धारा 2(3) 'बालक' को अठारह वर्ष से कम आयु के किसी व्यक्ति के रूप में नए सिरे से परिभाषित करती है; भा.दं.सं. में ऐसी कोई सामान्य परिभाषा नहीं थी।



15. (D) Community service — Section 4(f) BNS adds 'community service' as a punishment. The other punishments are death, imprisonment for life, imprisonment (rigorous or simple), forfeiture of property and fine.

(D) सामुदायिक सेवा — भा.न्या.सं. की धारा 4(च) में 'सामुदायिक सेवा' को दंड के रूप में जोड़ा गया है। अन्य दंड हैं — मृत्यु, आजीवन कारावास, कारावास (कठोर या सादा), संपत्ति का समपहरण और जुर्माना।

16. (B) Twenty years — Section 6 BNS (corresponding to Section 57 IPC) provides that imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for twenty years, unless otherwise provided.

(B) बीस वर्ष — भा.न्या.सं. की धारा 6 (भा.दं.सं. की धारा 57 के तत्स्थानी) उपबंध करती है कि, अन्यथा उपबंधित न हो तो, आजीवन कारावास को बीस वर्ष के कारावास के तुल्य गिना जाएगा।

17. (C) Section 3(5) — Section 34 IPC has been placed in Section 3(5) BNS among the general explanations. Section 61 BNS deals with criminal conspiracy and Section 45 with abetment of a thing.

(C) धारा 3(5) — भा.दं.सं. की धारा 34 को भा.न्या.सं. में साधारण स्पष्टीकरणों के अंतर्गत धारा 3(5) में रखा गया है। धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र तथा धारा 45 किसी बात के दुष्प्रेरण से संबंधित है।

18. (C) Three months — Section 11 BNS (old Section 73 IPC) permits solitary confinement for portions of rigorous imprisonment not exceeding three months in the whole, graded by the term of imprisonment.

(C) तीन मास — भा.न्या.सं. की धारा 11 (पुरानी भा.दं.सं. धारा 73) कठोर कारावास के भागों के लिए एकांत परिरोध की अनुमति देती है जो कुल मिलाकर तीन मास से अधिक नहीं होगा, कारावास की अवधि के अनुसार क्रमबद्ध।

19. (B) Section 20 — Section 20 BNS corresponds to Section 82 IPC (child under seven). Section 21 covers a child above seven and under twelve of immature understanding, Section 22 unsound mind and Section 18 accident.

(B) धारा 20 — भा.न्या.सं. की धारा 20 भा.दं.सं. की धारा 82 (सात वर्ष से कम आयु का बालक) के तत्स्थानी है। धारा 21 सात से बारह वर्ष के अपरिपक्व समझ वाले बालक, धारा 22 विकृतचित्तता तथा धारा 18 दुर्घटना से संबंधित है।

20. (C) a-3, b-1, c-2, d-4 — BNS Sections 14, 18, 22 and 23 correspond to IPC Sections 76 (bound by law/mistake of fact), 80 (accident), 84 (unsound mind) and 85 (involuntary intoxication).

(C) a-3, b-1, c-2, d-4 — भा.न्या.सं. की धाराएँ 14, 18, 22 और 23 क्रमशः भा.दं.सं. की धाराओं 76 (विधि द्वारा आबद्ध/तथ्य की भूल), 80 (दुर्घटना), 84 (विकृतचित्तता) और 85 (अनैच्छिक मत्तता) के तत्स्थानी हैं।

21. (C) Section 61 — Section 61 BNS defines and punishes criminal conspiracy (old Sections 120A and 120B IPC). Section 62 deals with attempt (old Section 511), Section 45 with abetment and Section 111 with organised crime.

(C) धारा 61 — भा.न्या.सं. की धारा 61 आपराधिक षड्यंत्र को परिभाषित और दंडित करती है (पुरानी भा.दं.सं. धारा 120क और 120ख)। धारा 62 प्रयत्न (पुरानी धारा 511), धारा 45 दुष्प्रेरण तथा धारा 111 संगठित अपराध से संबंधित है।

22. (B) Five — Section 103(2) BNS applies when a group of five or more persons acting in concert commits murder on such grounds; each member is punishable with death or imprisonment for life and fine.

(B) पाँच — भा.न्या.सं. की धारा 103(2) तब लागू होती है जब मिलकर कार्य करने वाले पाँच या अधिक व्यक्तियों का समूह ऐसे आधारों पर हत्या करता है; प्रत्येक सदस्य मृत्यु या आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय है।

23. (A) Ten years — Section 106(2) BNS ('hit and run') prescribes imprisonment of either description which may extend to ten years and fine, whereas Section 106(1) prescribes up to five years. (Section 106(2) was not brought into force on 1 July 2024 along with the rest of the Sanhita.)

(A) दस वर्ष — भा.न्या.सं. की धारा 106(2) ('हिट एंड रन') में दस वर्ष तक के किसी भी भाँति के कारावास और जुर्माने का उपबंध है, जबकि धारा 106(1) में पाँच वर्ष तक का। (धारा 106(2) को 1 जुलाई 2024 को संहिता के शेष उपबंधों के साथ प्रवृत्त नहीं किया गया।)



24. (A) Section 69 — Section 69 BNS is a new offence of sexual intercourse by employing deceitful means, including a false promise to marry, not amounting to rape. Section 63 defines rape, Section 74 covers outraging modesty and Section 85 cruelty by husband or relatives.

(A) धारा 69 — भा.न्या.सं. की धारा 69 छलपूर्ण साधनों, जिसमें विवाह का मिथ्या वचन भी है, द्वारा ऐसे मैथुन का नया अपराध है जो बलात्संग की कोटि में नहीं आता। धारा 63 बलात्संग, धारा 74 लज्जा भंग तथा धारा 85 पति या नातेदारों द्वारा क्रूरता से संबंधित है।

25. (B) 531 — The BNSS, 2023 contains 531 sections, replacing the Code of Criminal Procedure, 1973 which had 484 sections.

(B) 531 — भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 में 531 धाराएँ हैं, जिसने 484 धाराओं वाली दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 का स्थान लिया।

26. (C) Bail — The BNSS defines 'bail', 'bail bond', 'bond' and 'audio-video electronic means' for the first time. 'Charge', 'complaint' and 'investigation' were already defined in Section 2 CrPC.

(C) जमानत — भा.ना.सु.सं. में 'जमानत', 'जमानत बंधपत्र', 'बंधपत्र' और 'श्रव्य-दृश्य इलेक्ट्रॉनिक साधन' पहली बार परिभाषित किए गए हैं। 'आरोप', 'परिवाद' और 'अन्वेषण' द.प्र.सं. की धारा 2 में पहले से परिभाषित थे।

27. (D) Metropolitan Magistrates — Section 6 BNSS lists four classes: Courts of Session, Judicial Magistrates of the first class, Judicial Magistrates of the second class and Executive Magistrates. Metropolitan Magistrates have been dropped.

(D) महानगर मजिस्ट्रेट — भा.ना.सु.सं. की धारा 6 चार वर्ग बताती है: सेशन न्यायालय, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट और कार्यपालक मजिस्ट्रेट। महानगर मजिस्ट्रेट का वर्ग हटा दिया गया है।

28. (D) Fifty thousand rupees — Section 23(2) BNSS empowers a Magistrate of the first class to pass imprisonment up to three years, fine up to fifty thousand rupees (earlier ten thousand under Section 29 CrPC), or both, or community service.

(D) पचास हजार रुपये — भा.ना.सु.सं. की धारा 23(2) प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट को तीन वर्ष तक का कारावास, पचास हजार रुपये तक का जुर्माना (द.प्र.सं. की धारा 29 में दस हजार था), या दोनों, या सामुदायिक सेवा का दंडादेश देने की शक्ति देती है।

29. (D) Seven years — Section 23(1) BNSS (old Section 29(1) CrPC) bars a CJM from passing death, life imprisonment or imprisonment for a term exceeding seven years.

(D) सात वर्ष — भा.ना.सु.सं. की धारा 23(1) (पुरानी द.प्र.सं. धारा 29(1)) मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को मृत्यु, आजीवन कारावास या सात वर्ष से अधिक के कारावास का दंडादेश देने से वर्जित करती है।

30. (D) a-3, b-4, c-1, d-2 — In the BNSS, inherent powers of the High Court are in Section 528, anticipatory bail in Section 482, the 24-hour procedure/remand in Section 187 and recording of confessions in Section 183.

(D) a-3, b-4, c-1, d-2 — भा.ना.सु.सं. में उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियाँ धारा 528 में, अग्रिम जमानत धारा 482 में, 24 घंटे की प्रक्रिया/प्रतिप्रेषण धारा 187 में और संस्वीकृतियों का अभिलेखन धारा 183 में है।

31. (D) Fourteen days — Section 173(3) BNSS permits a preliminary enquiry within fourteen days for offences punishable with three years or more but less than seven years, with prior permission of an officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police.

(D) चौदह दिन — भा.ना.सु.सं. की धारा 173(3) तीन वर्ष या अधिक किन्तु सात वर्ष से कम से दंडनीय अपराधों में पुलिस उप-अधीक्षक से अनिवार्य पंक्ति के अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से चौदह दिन के भीतर प्रारंभिक जाँच की अनुमति देती है।

32. (B) Seven years or more — Section 176(3) BNSS mandates a visit of forensic experts to the crime scene, with videography, for every offence punishable with imprisonment of seven years or more.

(B) सात वर्ष या अधिक — भा.ना.सु.सं. की धारा 176(3) सात वर्ष या अधिक के कारावास से दंडनीय प्रत्येक अपराध में न्यायालयिक विशेषज्ञों द्वारा अपराध स्थल का निरीक्षण और वीडियोग्राफी अनिवार्य करती है।

33. (C) One-third of the maximum period of imprisonment specified for the offence — Section 479 BNSS (old Section 436A CrPC) generally allows release after one-half of the maximum term; for a first-time offender the proviso reduces this to one-third.

(C) अपराध हेतु विनिर्दिष्ट अधिकतम कारावास की एक-तिहाई अवधि — भा.ना.सु.सं. की धारा 479 (पुरानी द.प्र.सं. धारा 436क) सामान्यतः अधिकतम अवधि के आधे के पश्चात् छोड़ने का उपबंध करती है; प्रथम बार के अपराधी हेतु परन्तुत इस एक-तिहाई कर देता है।



34. (B) Section 356 — Section 356 BNSS newly provides for trial in absentia of a proclaimed offender who has absconded to evade trial. Section 84 deals with proclamation, Section 398 with witness protection scheme and Section 530 with electronic mode.

(B) धारा 356 — भा.ना.सु.सं. की धारा 356 विचारण से बचने हेतु फरार उद्घोषित अपराधी के अनुपस्थिति में विचारण का नया उपबंध करती है। धारा 84 उद्घोषणा, धारा 398 साक्षी संरक्षण स्कीम तथा धारा 530 इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से संबंधित है।

35. (D) Sixty years — Section 35(7) BNSS requires prior permission of an officer not below the rank of DSP to arrest a person who is infirm or above sixty years of age for an offence punishable with less than three years' imprisonment.

(D) साठ वर्ष — भा.ना.सु.सं. की धारा 35(7) तीन वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध में अशक्त या साठ वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप-अधीक्षक से अनिवार्य पंक्ति के अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा आवश्यक करती है।

36. (B) Section 530 — Section 530 BNSS permits trials, inquiries and proceedings in electronic mode. Section 531 is the repeal and savings clause, Section 528 saves inherent powers of the High Court and Section 479 deals with maximum detention of undertrials.

(B) धारा 530 — भा.ना.सु.सं. की धारा 530 विचारण, जाँच और कार्यवाहियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में करने की अनुमति देती है। धारा 531 निरसन और व्यावृत्ति, धारा 528 उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति तथा धारा 479 विचाराधीन बंदी के अधिकतम निरोध से संबंधित है।

37. (B) 170 — The BSA, 2023 contains 170 sections, replacing the Indian Evidence Act, 1872 which had 167 sections.

(B) 170 — भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 में 170 धाराएँ हैं, जिसने 167 धाराओं वाले भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 का स्थान लिया।

38. (C) Section 4 — Section 4 BSA corresponds to Section 6 of the 1872 Act and makes relevant facts forming part of the same transaction. Section 3 BSA corresponds to old Section 5 and Section 8 to old Section 10.

(C) धारा 4 — भा.सा.अ. की धारा 4, 1872 के अधिनियम की धारा 6 के तत्स्थानी है और एक ही संव्यवहार के भाग होने वाले तथ्यों को सुसंगत बनाती है। भा.सा.अ. की धारा 3 पुरानी धारा 5 तथा धारा 8 पुरानी धारा 10 के तत्स्थानी है।

39. (D) Electronic and digital records — Section 2(d) BSA defines 'document' as any matter expressed or described upon any substance and expressly includes electronic and digital records, with illustrations such as e-mails, server logs and messages.

(D) इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख — भा.सा.अ. की धारा 2(घ) 'दस्तावेज' को किसी पदार्थ पर अभिव्यक्त या वर्णित किसी विषय के रूप में परिभाषित करती है और उसमें इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल अभिलेख स्पष्टतः सम्मिलित हैं, जैसे ई-मेल, सर्वर लॉग और संदेश।

40. (C) Conclusive proof — This is the definition of 'conclusive proof' in Section 2 BSA (old Section 4 of the 1872 Act). 'May presume' and 'shall presume' permit rebuttal; conclusive proof does not.

(C) निश्चायक सबूत — यह भा.सा.अ. की धारा 2 (पुराने अधिनियम की धारा 4) में 'निश्चायक सबूत' की परिभाषा है। 'उपधारणा कर सकेगा' और 'उपधारणा करेगा' में खंडन संभव है; निश्चायक सबूत में नहीं।

41. (C) Section 8 – things said or done by conspirator in reference to common design — Section 8 BSA (old Section 10) makes anything said, done or written by any conspirator after the common intention was entertained, in reference to that common intention, relevant against each co-conspirator.

(C) धारा 8 – सामान्य परिकल्पना के बारे में षड्यंत्रकारी द्वारा कही या की गई बातें — भा.सा.अ. की धारा 8 (पुरानी धारा 10) के अनुसार सामान्य आशय बनने के पश्चात् उस आशय के संदर्भ में किसी षड्यंत्रकारी द्वारा कही, की या लिखी गई कोई बात प्रत्येक सह-षड्यंत्रकारी के विरुद्ध सुसंगत है।

42. (D) Section 6 — Section 6 BSA corresponds to old Section 8. Section 5 (old 7) covers occasion, cause or effect; Section 7 (old 9) facts necessary to explain or introduce; Section 9 (old 11) facts inconsistent with or making probable a fact in issue.

(D) धारा 6 — भा.सा.अ. की धारा 6 पुरानी धारा 8 के तत्स्थानी है। धारा 5 (पुरानी 7) प्रसंग, कारण या प्रभाव; धारा 7 (पुरानी 9) स्पष्ट करने या पुरःस्थापित करने हेतु आवश्यक तथ्य; धारा 9 (पुरानी 11) विवाद्यक तथ्य से असंगत या उसे अधिसंभाव्य बनाने वाले तथ्यों से संबंधित है।



43. (C) Section 9 — Section 9 BSA (old Section 11) makes relevant facts not otherwise relevant if they are inconsistent with a fact in issue; presence elsewhere (alibi) is the classic illustration.

(C) धारा 9 — भा.सा.अ. की धारा 9 (पुरानी धारा 11) अन्यथा असुसंगत तथ्यों को सुसंगत बनाती है यदि वे विवाद्यक तथ्य से असंगत हैं; अन्यत्र उपस्थिति (एलिबाई) इसका प्रमुख दृष्टांत है।

44. (B) Section 63 — Section 63 BSA governs admissibility of electronic records and requires a certificate in the form given in the Schedule. Section 57 deals with primary evidence and Section 39 with opinions of experts.

(B) धारा 63 — भा.सा.अ. की धारा 63 इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखों की ग्राह्यता का विनियमन करती है और अनुसूची में दिए प्रारूप में प्रमाणपत्र अपेक्षित करती है। धारा 57 प्राथमिक साक्ष्य तथा धारा 39 विशेषज्ञों की राय से संबंधित है।

45. (A) Section 26 — Section 26 BSA (old Section 32 of the 1872 Act) makes relevant statements by persons who are dead, including statements as to the cause of death. Section 22 BSA deals with confessions caused by inducement, threat or coercion.

(A) धारा 26 — भा.सा.अ. की धारा 26 (1872 के अधिनियम की पुरानी धारा 32) मृत व्यक्तियों के कथनों, जिनमें मृत्यु के कारण संबंधी कथन भी है, को सुसंगत बनाती है। भा.सा.अ. की धारा 22 उत्प्रेरणा, धमकी या प्रपीड़न से कराई गई संस्वीकृति से संबंधित है।

46. (A) Proviso to Section 23 — The BSA merges old Sections 25, 26 and 27 into Section 23; the discovery rule of old Section 27 appears as the proviso to Section 23.

(A) धारा 23 का परन्तुक — भा.सा.अ. ने पुरानी धाराओं 25, 26 और 27 को धारा 23 में समाहित किया है; पुरानी धारा 27 का 'तथ्य के पता चलने' का नियम धारा 23 के परन्तुक के रूप में है।

47. (A) An order of dismissal for default — Section 2(2) CPC expressly excludes any order of dismissal for default and any adjudication from which an appeal lies as an appeal from an order; rejection of a plaint and determination under Section 144 are deemed decrees.

(A) व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का आदेश — सि.प्र.सं. की धारा 2(2) व्यतिक्रम के लिए खारिज करने के आदेश तथा ऐसे न्यायनिर्णयन को, जिसकी अपील आदेश की अपील के रूप में होती है, स्पष्टतः अपवर्जित करती है; वादपत्र का नामंजूर किया जाना और धारा 144 के अंतर्गत अवधारण डिक्री समझे जाते हैं।

48. (C) Profits due to improvements made by the person in wrongful possession — Section 2(12) CPC defines mesne profits as profits actually received or which might with ordinary diligence have been received, together with interest, but excludes profits due to improvements made by the person in wrongful possession.

(C) सदोष कब्जाधारी व्यक्ति द्वारा किए गए सुधारों के कारण हुए लाभ — सि.प्र.सं. की धारा 2(12) अंतःकालीन लाभ को वस्तुतः प्राप्त या मामूली तत्परता से प्राप्त हो सकने वाले लाभ तथा उन पर ब्याज के रूप में परिभाषित करती है, किन्तु सदोष कब्जाधारी द्वारा किए गए सुधारों से हुए लाभ अपवर्जित हैं।

49. (A) Any person who intermeddles with the estate of the deceased — Section 2(11) CPC defines legal representative as a person who in law represents the estate of a deceased person and includes any person who intermeddles with the estate of the deceased.

(A) कोई व्यक्ति जो मृतक की संपदा में दखल देता है — सि.प्र.सं. की धारा 2(11) विधिक प्रतिनिधि को ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जो विधि में मृतक की संपदा का प्रतिनिधित्व करता है, और इसमें मृतक की संपदा में दखल देने वाला कोई व्यक्ति भी सम्मिलित है।

50. (C) Notwithstanding that such right may depend entirely on the decision of questions as to religious rites or ceremonies — Explanation I to Section 9 CPC provides that such a suit is of a civil nature notwithstanding that the right may depend entirely on questions as to religious rites or ceremonies; Explanation II adds that fees need not be attached to the office.

(C) इस बात के होते हुए भी कि ऐसा अधिकार पूर्णतः धार्मिक कृत्यों या कर्मकांडों संबंधी प्रश्नों के विनिश्चय पर निर्भर हो — धारा 9 का स्पष्टीकरण I कहता है कि ऐसा वाद सिविल प्रकृति का है भले ही अधिकार पूर्णतः धार्मिक कृत्यों या कर्मकांडों के प्रश्नों पर निर्भर हो; स्पष्टीकरण II जोड़ता है कि पद के साथ फीस का जुड़ा होना आवश्यक नहीं।



51. (C) Does not preclude the Courts in India from trying a suit founded on the same cause of action — Section 10 applies only where the previously instituted suit is pending in a Court in India (or one established by the Central Government outside India, or the Supreme Court); the Explanation says pendency in a foreign Court does not preclude Indian Courts.

(C) उसी वाद-हेतुक पर आधारित वाद का विचारण करने से भारत के न्यायालयों को प्रवारित नहीं करता — धारा 10 केवल तब लागू होती है जब पूर्व संस्थित वाद भारत के न्यायालय (या केंद्र सरकार द्वारा भारत के बाहर स्थापित न्यायालय या उच्चतम न्यायालय) में लंबित हो; स्पष्टीकरण के अनुसार विदेशी न्यायालय में लंबित होना भारतीय न्यायालयों को प्रवारित नहीं करता।

52. (B) Explanation IV to Section 11 — Explanation IV to Section 11 CPC embodies constructive res judicata. Explanation VI deals with representative suits and Explanation VIII with decisions of Courts of limited jurisdiction.

(B) धारा 11 का स्पष्टीकरण IV — धारा 11 सि.प्र.सं. का स्पष्टीकरण IV आन्वयिक प्राङ्गनाय का सिद्धांत है। स्पष्टीकरण VI प्रतिनिधिवादों तथा स्पष्टीकरण VIII सीमित अधिकारिता वाले न्यायालयों के विनिश्चयों से संबंधित है।

53. (B) It has been pronounced by a Court of a non-reciprocating territory — Section 13 CPC lists six exceptions: incompetent court, not on merits, incorrect view of international law or refusal to recognise Indian law, opposed to natural justice, obtained by fraud, and sustaining a claim founded on breach of Indian law. Being from a non-reciprocating territory is relevant only to the mode of execution under Section 44A.

(B) वह किसी अव्यक्तिकारी राज्यक्षेत्र के न्यायालय द्वारा सुनाया गया है — धारा 13 सि.प्र.सं. में छह अपवाद हैं: अक्षम न्यायालय, गुणागुण पर न होना, अंतरराष्ट्रीय विधि का गलत दृष्टिकोण या भारतीय विधि को मान्यता देने से इनकार, नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध, कपट द्वारा अभिप्राप्त, और भारतीय विधि के भंग पर आधारित दावा। अव्यक्तिकारी राज्यक्षेत्र का होना केवल धारा 44क के अधीन निष्पादन की रीति से सुसंगत है।

54. (B) Shall presume that the judgment was pronounced by a Court of competent jurisdiction, unless the contrary appears on the record — Section 14 CPC raises a presumption that the foreign judgment was pronounced by a Court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but it may be displaced by proving want of jurisdiction.

(B) उपधारणा करेगा कि निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया था, जब तक अभिलेख से प्रतिकूल प्रतीत न हो — धारा 14 सि.प्र.सं. उपधारणा करती है कि विदेशी निर्णय सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सुनाया गया था, जब तक अभिलेख से प्रतिकूल प्रतीत न हो; अधिकारिता का अभाव साबित कर इसे खंडित किया जा सकता है।

55. (D) The Court of the lowest grade competent to try it — Section 15 CPC requires every suit to be instituted in the Court of the lowest grade competent to try it; it is a rule of procedure meant to prevent overburdening higher courts.

(D) उसका विचारण करने के लिए सक्षम निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में — धारा 15 सि.प्र.सं. अपेक्षित करती है कि प्रत्येक वाद उसका विचारण करने के लिए सक्षम निम्नतम श्रेणी के न्यायालय में संस्थित किया जाए; यह उच्च न्यायालयों पर अतिभार रोकने हेतु प्रक्रिया का नियम है।

56. (A) Two months — Section 80(1) CPC requires the expiry of two months after delivery of notice; Section 80(2) allows an urgent suit without notice with leave of the Court, but no relief other than interim relief without hearing the Government.

(A) दो मास — धारा 80(1) सि.प्र.सं. सूचना परिदत्त करने के दो मास की समाप्ति अपेक्षित करती है; धारा 80(2) न्यायालय की अनुमति से तत्काल राहत हेतु बिना सूचना वाद की अनुमति देती है।

57. (B) Thirty days; ninety days — Order VIII Rule 1 CPC prescribes 30 days, extendable up to 90 days; the Supreme Court in Salem Advocate Bar Association (II) (2005) held the 90-day limit directory in ordinary suits. The 120-day outer limit applies to commercial suits.

(B) तीस दिन; नब्बे दिन — आदेश VIII नियम 1 सि.प्र.सं. 30 दिन का उपबंध करता है, जो 90 दिन तक बढ़ाया जा सकता है; सलेम एडवोकेट बार एसोसिएशन (II) (2005) में साधारण वादों में 90 दिन की सीमा निदेशात्मक मानी गई। 120 दिन की बाहरी सीमा वाणिज्यिक वादों पर लागू है।

58. (C) Order I Rule 8 — Order I Rule 8 CPC governs representative suits. Order I Rule 10 deals with suit in the name of wrong plaintiff and addition of parties, Order II Rule 2 with inclusion of the whole claim and Order XXIII Rule 1 with withdrawal of suits.

(C) आदेश I नियम 8 — आदेश I नियम 8 सि.प्र.सं. प्रतिनिधिवादों का विनियमन करता है। आदेश I नियम 10 गलत वादी के नाम से वाद और पक्षकार जोड़ने, आदेश II नियम 2 संपूर्ण दावे के समावेश तथा आदेश XXIII नियम 1 वाद वापसी से संबंधित है।



59. (A) At the desire of the promisor — Section 2(d) requires that the act or abstinence be done 'at the desire of the promisor' by the promisee or any other person; hence consideration may move from a third party but must be at the promisor's desire (*Durga Prasad v. Baldeo*, 1880).

(A) वचनदाता की वांछा पर — धारा 2(घ) के अनुसार कार्य या प्रविरति 'वचनदाता की वांछा पर' वचनग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए; अतः प्रतिकूल तीसरे व्यक्ति से भी आ सकता है किन्तु वचनदाता की वांछा पर होना चाहिए (*दुर्गा प्रसाद बनाम बलदेव*, 1880)।

60. (B) a-3, b-1, c-4, d-2 — Section 2(e) defines agreement, 2(g) void agreement, 2(i) voidable contract and 2(j) a contract which becomes void when it ceases to be enforceable by law.

(B) a-3, b-1, c-4, d-2 — धारा 2(ड) करार, 2(छ) शून्य करार, 2(झ) शून्यकरणीय संविदा तथा 2(ञ) ऐसी संविदा को परिभाषित करती है जो विधि द्वारा प्रवर्तनीय न रहने पर शून्य हो जाती है।

61. (A) 10th March, when the letter is put in the course of transmission — Under Section 4, communication of acceptance is complete as against the proposer when it is put in a course of transmission to him so as to be out of the power of the acceptor; as against the acceptor, when it comes to the knowledge of the proposer.

(A) 10 मार्च को, जब पत्र पारेषण के अनुक्रम में डाल दिया गया — धारा 4 के अनुसार प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध तब पूर्ण होती है जब वह उसको पारेषण के अनुक्रम में इस प्रकार डाल दी जाए कि प्रतिग्रहीता की शक्ति से बाहर हो जाए; प्रतिग्रहीता के विरुद्ध तब, जब वह प्रस्थापक के ज्ञान में आए।

62. (A) Before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards —

Section 5 provides that a proposal may be revoked at any time before the communication of its acceptance is complete as against the proposer, but not afterwards; an acceptance may be revoked before its communication is complete as against the acceptor.

(A) प्रस्थापक के विरुद्ध उसके प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होने से पूर्व, किन्तु पश्चात् नहीं — धारा 5 के अनुसार प्रस्थापना प्रस्थापक के विरुद्ध प्रतिग्रहण की संसूचना पूर्ण होने से पूर्व किसी भी समय प्रतिसंहत की जा सकती है, किन्तु पश्चात् नहीं; प्रतिग्रहण, प्रतिग्रहीता के विरुद्ध संसूचना पूर्ण होने से पूर्व प्रतिसंहत किया जा सकता है।

63. (B) Death of the acceptor before acceptance — Section 6 lists four modes: notice of revocation by the proposer, lapse of time, failure of the acceptor to fulfil a condition precedent, and death or insanity of the proposer if known to the acceptor before acceptance. Death of the acceptor is not listed.

(B) प्रतिग्रहण से पूर्व प्रतिग्रहीता की मृत्यु — धारा 6 चार ढंग बताती है: प्रस्थापक द्वारा प्रतिसंहरण की सूचना, समय का बीत जाना, प्रतिग्रहीता द्वारा पुरोभाव्य शर्त पूरी न करना, तथा प्रस्थापक की मृत्यु या पागलपन यदि प्रतिग्रहण से पूर्व प्रतिग्रहीता को ज्ञात हो। प्रतिग्रहीता की मृत्यु इसमें नहीं है।

64. (B) Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose (1903) — In *Mohori Bibee v. Dharmodas Ghose* (1903) the Privy Council held that a minor's agreement is void ab initio under Sections 10 and 11. Lalman Shukla concerns knowledge of offer and Satyabrata Ghose concerns frustration.

(B) मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903) — मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष (1903) में प्रिवी कौंसिल ने धारा 10 और 11 के अधीन अवयस्क के करार को प्रारंभ से शून्य माना। लालमन शुक्ला प्रस्थापना के ज्ञान तथा सत्यब्रत घोष विफलता (फ्रस्ट्रेशन) से संबंधित है।

65. (A) A person who has attained majority according to the law to which he is subject, is of sound mind and is not disqualified by law — Section 11 makes competent every person who is of the age of majority according to the law to which he is subject, who is of sound mind and is not disqualified from contracting by any law.

(A) वह व्यक्ति जो अपनी स्वीय विधि के अनुसार प्राप्तवय है, स्वस्थचित है और विधि द्वारा निरहित नहीं है — धारा 11 के अनुसार हर व्यक्ति संविदा करने के लिए सक्षम है जो अपनी स्वीय विधि के अनुसार प्राप्तवय हो, स्वस्थचित हो और किसी विधि द्वारा संविदा करने से निरहित न हो।

66. (D) Six months from the date of dispossession — Section 6(2)(a) SRA bars a suit under Section 6 after the expiry of six months from the date of dispossession; the plaintiff need not prove title, only prior possession and dispossession.

(D) बेकब्जा किए जाने की तारीख से छह मास — विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6(2)(क) बेकब्जा किए जाने की तारीख से छह मास के पश्चात् धारा 6 के अधीन वाद वर्जित करती है; वादी को हक नहीं, केवल पूर्व कब्जा और बेकब्जा होना साबित करना होता है।



67. (D) An appeal lies from a decree passed in a suit under Section 6 — Section 6(3) SRA provides that no appeal shall lie from any order or decree passed in a suit under Section 6, nor is review allowed; Section 6(2)(b) bars suits against the Government and Section 6(4) preserves a suit based on title.

(D) धारा 6 के अधीन वाद में पारित डिक्री की अपील होती है — धारा 6(3) के अनुसार धारा 6 के वाद में पारित किसी आदेश या डिक्री की अपील नहीं होगी और न पुनर्विलोकन; धारा 6(2)(ख) सरकार के विरुद्ध वाद वर्जित करती है और धारा 6(4) हक पर आधारित वाद को व्यावृत्त करती है।

68. (C) Shall be enforced by the Court, subject to Sections 11(2), 14 and 16 — The 2018 Amendment substituted Section 10 so that specific performance 'shall be enforced by the court' subject to Sections 11(2), 14 and 16, removing the earlier test of inadequacy of compensation and making it the general rule.

(C) न्यायालय द्वारा, धारा 11(2), 14 और 16 के अध्यक्षीन, प्रवर्तित किया जाएगा — 2018 के संशोधन ने धारा 10 को प्रतिस्थापित किया जिससे विनिर्दिष्ट पालन धारा 11(2), 14 और 16 के अध्यक्षीन 'न्यायालय द्वारा प्रवर्तित किया जाएगा'; प्रतिकर की अपर्याप्तता का पूर्व परीक्षण हटा दिया गया और यह सामान्य नियम बन गया।

69. (B) A is true but R is false — A is true as it reproduces the definition in Section 3 TPA. R is false: these things are attached to the earth (rooted in it), but they are excluded from 'immovable property' by express statutory definition.

(B) A सत्य है किन्तु R असत्य है — A सत्य है क्योंकि यह धारा 3 की परिभाषा है। R असत्य है: ये वस्तुएँ भूमि में जड़ित होने से भूमि से संलग्न होती हैं, किन्तु विधायी परिभाषा द्वारा इन्हें 'स्थावर संपत्ति' से स्पष्टतः अपवर्जित किया गया है।

70. (D) Two or more witnesses — Section 3 TPA defines 'attested' as attested by two or more witnesses, each of whom has seen the executant sign or affix his mark (or received a personal acknowledgement), and signed in the presence of the executant.

(D) दो या अधिक साक्षियों द्वारा — धारा 3 के अनुसार 'अनुप्रमाणित' से अभिप्रेत है दो या अधिक साक्षियों द्वारा अनुप्रमाणित, जिनमें से प्रत्येक ने निष्पादक को हस्ताक्षर करते या चिह्न लगाते देखा हो (या उससे वैयक्तिक अभिस्वीकृति प्राप्त की हो) और निष्पादक की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए हों।

71. (A) The date of registration — Explanation I to the notice clause in Section 3 TPA provides that registration of such an instrument operates as constructive notice to any person acquiring the property from the date of registration.

(A) रजिस्ट्रीकरण की तारीख से — धारा 3 के सूचना संबंधी खंड का स्पष्टीकरण। उपबंध करता है कि ऐसी लिखत का रजिस्ट्रीकरण संपत्ति अर्जित करने वाले किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रीकरण की तारीख से आन्वयिक सूचना के रूप में प्रवर्तित होता है।

72. (C) A company or association or body of individuals, whether incorporated or not — Section 5 TPA defines transfer of property as an act by which a living person conveys property to one or more other living persons, and expressly includes a company or association or body of individuals, whether incorporated or not, in 'living person'.

(C) कंपनी या संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं — धारा 5 अंतरण को ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित करती है जिससे जीवित व्यक्ति एक या अधिक अन्य जीवित व्यक्तियों को संपत्ति हस्तांतरित करता है, और 'जीवित व्यक्ति' में कंपनी या संगम या व्यष्टियों का निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं, स्पष्टतः सम्मिलित है।

73. (A) An actionable claim — Section 6 TPA bars transfer of spes successionis (6(a)), right to future maintenance (6(dd)) and a mere right to sue (6(e)); actionable claims are transferable under Sections 130 onwards.

(A) अनुयोज्य दावा — धारा 6 स्पेस सक्सेशनिस (6(क)), भावी भरण-पोषण के अधिकार (6(घघ)) और वाद लाने के मात्र अधिकार (6(ड)) का अंतरण वर्जित करती है; अनुयोज्य दावे धारा 130 आगे के अधीन अंतरणीय हैं।

74. (D) Twenty years — Section 15 of the Indian Easements Act (like Section 25 of the Limitation Act) requires twenty years' uninterrupted, peaceable and open enjoyment as of right; for property belonging to the Government the period is thirty years.

(D) बीस वर्ष — भारतीय सुखाचार अधिनियम की धारा 15 (परिसीमा अधिनियम की धारा 25 के समान) बीस वर्ष के अविच्छिन्न, शांतिपूर्ण और खुले अधिकारस्वरूप उपभोग की अपेक्षा करती है; सरकार की संपत्ति के लिए यह अवधि तीस वर्ष है।



75. (A) Both A and R are true and R is the correct explanation of A — Both are true and R explains A. Section 3(1) of the Limitation Act casts a duty on the Court to dismiss a time-barred suit, appeal or application even if limitation is not pleaded.

(A) A और R दोनों सत्य हैं तथा R, A की सही व्याख्या है — दोनों सत्य हैं और R, A की व्याख्या करता है। परिसीमा अधिनियम की धारा 3(1) न्यायालय पर कालवर्जित वाद, अपील या आवेदन को खारिज करने का कर्तव्य डालती है, भले ही परिसीमा का अभिवचन न किया गया हो।

76. (B) His application for leave to sue as an indigent person is made — Section 3(2)(a) provides that a suit is instituted in an ordinary case when the plaint is presented to the proper officer, and in the case of an indigent person when his application for leave to sue as an indigent person is made.

(B) निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की इजाजत के लिए उसका आवेदन किया जाता है — धारा 3(2)(क) के अनुसार सामान्य मामले में वाद तब संस्थित होता है जब वादपत्र उचित अधिकारी को प्रस्तुत किया जाता है, और निर्धन व्यक्ति के मामले में तब जब निर्धन व्यक्ति के रूप में वाद लाने की इजाजत हेतु उसका आवेदन किया जाता है।

77. (C) Suits — Section 5 allows admission of an appeal or any application (other than an application under Order XXI CPC) after the prescribed period on sufficient cause. It does not apply to suits, for which delay cannot be condoned.

(C) वाद — धारा 5 पर्याप्त हेतुक होने पर विहित काल के पश्चात् अपील या किसी आवेदन (सि.प्र.सं. के आदेश XXI के अधीन आवेदन से भिन्न) को ग्रहण करने की अनुमति देती है। यह वादों पर लागू नहीं होती, जिनमें विलंब माफ नहीं किया जा सकता।

78. (D) Twelve years from when the possession of the defendant becomes adverse to the plaintiff — Article 65 prescribes twelve years running from when the possession of the defendant becomes adverse to the plaintiff. Article 64 (possession based on previous possession) runs from the date of dispossession; thirty years applies to suits by the Government (Article 112).

(D) बारह वर्ष, जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के प्रतिकूल हो जाता है — अनुच्छेद 65 बारह वर्ष की अवधि विहित करता है जो तब से चलती है जब प्रतिवादी का कब्जा वादी के प्रतिकूल हो जाता है। अनुच्छेद 64 (पूर्व कब्जे पर आधारित) बेकब्जा किए जाने की तारीख से चलता है; तीस वर्ष सरकार द्वारा वाद (अनुच्छेद 112) पर लागू है।

79. (A) 21 years and 18 years — Section 5(iii) HMA requires the bridegroom to have completed 21 years and the bride 18 years at the time of marriage; breach is punishable under Section 18 but does not make the marriage void.

(A) 21 वर्ष और 18 वर्ष — हिं.वि.अ. की धारा 5(iii) के अनुसार विवाह के समय वर ने 21 वर्ष और वधू ने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो; उल्लंघन धारा 18 के अधीन दंडनीय है किन्तु विवाह को शून्य नहीं बनाता।

80. (A) One year or more — Section 13B(1) requires separation for one year or more; the second motion is made not earlier than six months and not later than eighteen months. In Amardeep Singh v. Harveen Kaur (2017) the six-month waiting period was held directory.

(A) एक वर्ष या अधिक — धारा 13ख(1) एक वर्ष या अधिक पृथक् निवास अपेक्षित करती है; दूसरा प्रस्ताव छह मास से पूर्व नहीं और अठारह मास के पश्चात् नहीं किया जाता। अमरदीप सिंह बनाम हरवीन कौर (2017) में छह मास की प्रतीक्षा अवधि निदेशात्मक मानी गई।

81. (C) Irrespective of whether her father was alive on 9 September 2005 — A three-judge bench in Vineeta Sharma (2020) held that the right under amended Section 6 is by birth, so the father coparcener need not be living on 9.9.2005; it overruled Prakash v. Phulavati (2016) on this point.

(C) इस बात पर ध्यान दिए बिना कि उसके पिता 9 सितंबर 2005 को जीवित थे या नहीं — विनीता शर्मा (2020) में तीन न्यायाधीशों की पीठ ने अभिनिर्धारित किया कि संशोधित धारा 6 के अधीन अधिकार जन्म से है, अतः पिता सहदायिक का 9.9.2005 को जीवित होना आवश्यक नहीं; इस बिंदु पर प्रकाश बनाम फुलवती (2016) को उलट दिया गया।

82. (D) Twenty-one years — Section 11(iii) and (iv) HAMA require an age difference of at least twenty-one years where a male adopts a female or a female adopts a male.

(D) इक्कीस वर्ष — हि.द.भ.अ. की धारा 11(iii) और (iv) के अनुसार जहाँ पुरुष स्त्री को या स्त्री पुरुष को दत्तक ले, वहाँ कम से कम इक्कीस वर्ष का आयु-अंतर आवश्यक है।



83. (D) 'In the absence of' the father, not necessarily after his lifetime — In Githa Hariharan (1999) the Court read 'after' as 'in the absence of', so the mother can act as natural guardian even during the father's lifetime when he is absent or indifferent, to keep Section 6 consistent with gender equality.

(D) पिता की 'अनुपस्थिति में', आवश्यक रूप से उसके जीवनकाल के पश्चात् नहीं — गीता हरिहरन (1999) में न्यायालय ने 'पश्चात्' को 'अनुपस्थिति में' पढ़ा, जिससे पिता के जीवनकाल में भी, उसकी अनुपस्थिति या उदासीनता में, माता नैसर्गिक संरक्षक के रूप में कार्य कर सकती है; यह लैंगिक समता के अनुरूप है।

84. (C) Void and illegal, and punishable with imprisonment up to three years and fine — Section 3 of the 2019 Act declares talaq-e-biddat void and illegal, and Section 4 makes it punishable with imprisonment up to three years and fine. Earlier, in Shayara Bano v. Union of India (2017), the Supreme Court had set aside the practice.

(C) शून्य और अवैध है, तथा तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय है — 2019 के अधिनियम की धारा 3 तलाक-ए-बिद्दत को शून्य और अवैध घोषित करती है तथा धारा 4 इसे तीन वर्ष तक के कारावास और जुर्माने से दंडनीय बनाती है। इससे पूर्व शायरा बानो बनाम भारत संघ (2017) में उच्चतम न्यायालय ने इस प्रथा को अपास्त किया था।

85. (B) Four months and ten days — The iddat of a widow is four months and ten days; if she is pregnant, it lasts until delivery (under Shia law, until delivery or four months and ten days, whichever is longer). Three menstrual courses is the iddat on divorce.

(B) चार मास और दस दिन — विधवा की इद्दत चार मास और दस दिन है; यदि वह गर्भवती है तो प्रसव तक (शिया विधि में प्रसव या चार मास दस दिन, जो भी अधिक हो)। तीन मासिक धर्म तलाक की दशा में इद्दत है।

86. (A) Registration of a written deed of gift — A hiba requires declaration, acceptance and delivery of possession; it may be oral. Section 129 TPA excludes Muslim gifts from the requirement of a registered instrument under Section 123.

(A) लिखित दान-पत्र का रजिस्ट्रीकरण — हिबा के लिए घोषणा, प्रतिग्रहण और कब्जे का परिदान आवश्यक है; यह मौखिक भी हो सकता है। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 129 मुस्लिम दानों को धारा 123 की रजिस्ट्रीकृत लिखत की अपेक्षा से अपवर्जित करती है।

87. (B) One-third — A Muslim's testamentary power is limited to one-third of the net estate; a bequest beyond one-third is valid only if the heirs consent after the testator's death.

(B) एक-तिहाई — मुसलमान की वसीयत करने की शक्ति शुद्ध संपदा के एक-तिहाई तक सीमित है; एक-तिहाई से अधिक की वसीयत तभी विधिमान्य है जब वारिस वसीयतकर्ता की मृत्यु के पश्चात् सम्मति दें।

88. (D) M.C. Mehta v. Union of India (Oleum Gas Leak case, 1987) — In M.C. Mehta v. Union of India (1987), arising from the oleum gas leak at Shriram Foods and Fertilisers, a Constitution Bench evolved absolute liability without the exceptions recognised in Rylands v. Fletcher (1868).

(D) एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (ओलियम गैस रिसाव मामला, 1987) — एम.सी. मेहता बनाम भारत संघ (1987), जो श्रीराम फूड्स एंड फर्टिलाइज़र्स में ओलियम गैस रिसाव से उत्पन्न हुआ, में संविधान पीठ ने रायलैंड्स बनाम फ्लेचर (1868) के अपवादों के बिना आत्यंतिक दायित्व का नियम विकसित किया।

89. (D) Injuria sine damno — Ashby v. White held that infringement of a legal right is actionable even without actual damage (injuria sine damno). Gloucester Grammar School case (1410) illustrates damnum sine injuria.

(D) इंजुरिया साइन डैमनो (वास्तविक क्षति के बिना विधिक हानि) — एशबी बनाम व्हाइट में अभिनिर्धारित हुआ कि विधिक अधिकार का अतिलंघन वास्तविक हानि के बिना भी अनुयोज्य है (इंजुरिया साइन डैमनो)। ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल मामला (1410) डैमन साइन इंजुरिया का दृष्टांत है।

90. (A) John Austin — John Austin, founder of the analytical (imperative) school, defined positive law as the command of the sovereign enforced by sanction. Savigny led the historical school, Pound sociological jurisprudence and Kelsen the pure theory of law.

(A) जॉन ऑस्टिन — विश्लेषणात्मक (आदेशात्मक) संप्रदाय के प्रवर्तक जॉन ऑस्टिन ने सकारात्मक विधि को शास्ति द्वारा प्रवर्तित संप्रभु का समादेश बताया। सेविनी ऐतिहासिक संप्रदाय, पाउंड समाजशास्त्रीय विधिशास्त्र तथा केल्सन विशुद्ध विधि सिद्धांत से संबद्ध हैं।

91. (D) Historical school (Savigny) — Savigny, the chief exponent of the historical school, taught that law grows from the Volksgeist, the common consciousness of the people, and is found, not made.

(D) ऐतिहासिक संप्रदाय (सेविनी) — ऐतिहासिक संप्रदाय के प्रमुख प्रतिपादक सेविनी के अनुसार विधि लोक-चेतना (वोल्क्सगाइस्ट) से विकसित होती है; विधि बनाई नहीं जाती, पाई जाती है।



92. (A) Heydon's case (1584) — Heydon's case (1584) laid down the mischief rule: the court considers the common law before the Act, the mischief, the remedy provided and the true reason of the remedy. Grey v. Pearson is associated with the golden rule and the Sussex Peerage case with the literal rule.

(A) हेडन का मामला (1584) — हेडन का मामला (1584) रिष्टि नियम का स्रोत है: न्यायालय अधिनियम से पूर्व की सामान्य विधि, रिष्टि, उपबंधित उपचार और उपचार का वास्तविक कारण देखता है। ग्रे बनाम पियर्सन स्वर्णिम नियम तथा ससेक्स पीयरज मामला शाब्दिक नियम से संबद्ध है।

93. (A) Maneka Gandhi v. Union of India (1978) — Maneka Gandhi (1978) held that Articles 14, 19 and 21 are interlinked and the procedure under Article 21 must be just, fair and reasonable, departing from the narrow view in A.K. Gopalan (1950).

(A) मेनका गांधी बनाम भारत संघ (1978) — मेनका गांधी (1978) में अभिनिर्धारित हुआ कि अनुच्छेद 14, 19 और 21 परस्पर जुड़े हैं और अनुच्छेद 21 की प्रक्रिया न्यायसंगत, उचित और युक्तियुक्त होनी चाहिए; इसने ए.के. गोपालन (1950) के संकीर्ण दृष्टिकोण को त्याग दिया।

94. (A) Vishaka v. State of Rajasthan (1997) — In Vishaka (1997) the Supreme Court, relying on CEDAW and Articles 14, 15, 19(1)(g) and 21, framed the Vishaka Guidelines, later replaced by the 2013 Act.

(A) विशाखा बनाम राजस्थान राज्य (1997) — विशाखा (1997) में उच्चतम न्यायालय ने सीडॉ (CEDAW) और अनुच्छेद 14, 15, 19(1)(छ) और 21 के आधार पर विशाखा दिशानिर्देश बनाए, जिन्हें बाद में 2013 के अधिनियम ने प्रतिस्थापित किया।

95. (D) Nine — A nine-judge bench in Puttaswamy (2017) held privacy to be intrinsic to Article 21 and Part III, overruling M.P. Sharma (1954) and Kharak Singh (1963) to the extent they held otherwise.

(D) नौ — पुट्टस्वामी (2017) में नौ न्यायाधीशों की पीठ ने निजता को अनुच्छेद 21 और भाग III का अंतर्भूत भाग माना तथा एम.पी. शर्मा (1954) और खड़क सिंह (1963) को उस सीमा तक उलट दिया।

96. (D) Read down Section 377 IPC to decriminalise consensual sexual acts between adults in private — A

Constitution Bench in Navtej Singh Johar (2018) held Section 377 IPC unconstitutional insofar as it criminalised consensual sex between adults, overruling Suresh Kumar Koushal (2013). Section 497 was struck down in Joseph Shine (2018) and the third gender recognised in NALSA (2014).

(D) वयस्कों के बीच एकांत में सहमति से किए गए लैंगिक कृत्यों को अपराधमुक्त करने हेतु भा.दं.सं. की धारा 377 को सीमित रूप में पढ़ा — नवतेज सिंह जौहर (2018) में संविधान पीठ ने धारा 377 को वहाँ तक असंवैधानिक माना जहाँ तक वह वयस्कों के बीच सहमति से यौन संबंध को अपराध बनाती थी, और सुरेश कुमार कौशल (2013) को उलट दिया। धारा 497 जोसेफ शाइन (2018) में निरस्त हुई तथा तृतीय लिंग को नालसा (2014) में मान्यता मिली।

97. (B) Registration of FIR is mandatory if the information discloses commission of a cognizable offence, though a preliminary inquiry is permissible in certain categories of cases — Lalita Kumari (2013) held that Section 154 CrPC mandates registration of an FIR when information discloses a cognizable offence, while permitting a time-bound preliminary inquiry in categories such as matrimonial, commercial and medical negligence cases.

(B) यदि सूचना से संज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट होता है तो प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है, यद्यपि कुछ श्रेणियों के मामलों में प्रारंभिक जाँच अनुज्ञेय है — ललिता कुमारी (2013) में अभिनिर्धारित हुआ कि द.प्र.सं. की धारा 154 के अधीन संज्ञेय अपराध प्रकट होने पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना अनिवार्य है, जबकि वैवाहिक, वाणिज्यिक, चिकित्सीय उपेक्षा जैसे मामलों में समयबद्ध प्रारंभिक जाँच अनुज्ञेय है।

98. (C) Which may be less than seven years or which may extend to seven years — Arnes Kumar (2014) directed police to satisfy the Section 41(1)(b) CrPC checklist before arrest and Magistrates to scrutinise detention, for offences punishable with imprisonment less than or up to seven years.

(C) जो सात वर्ष से कम हो सकती है या सात वर्ष तक हो सकती है — अर्नेश कुमार (2014) में निर्देश दिया गया कि सात वर्ष से कम या सात वर्ष तक के कारावास से दंडनीय अपराधों में पुलिस गिरफ्तारी से पूर्व द.प्र.सं. की धारा 41(1)(ख) की जाँच-सूची का पालन करे और मजिस्ट्रेट निरोध की संवीक्षा करें।

99. (B) A divorced Muslim wife unable to maintain herself is entitled to maintenance under Section 125 CrPC beyond the iddat period — A Constitution Bench in Shah Bano (1985) held Section 125 CrPC to be a secular provision applicable to all, and that a divorced Muslim wife unable to maintain herself can claim maintenance beyond iddat; mahr is not a sum payable on divorce under Section 127(3)(b).

(B) स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी द.प्र.सं. की धारा 125 के अधीन इदत अवधि के पश्चात् भी भरण-पोषण की हकदार है — शाह बानो (1985) में संविधान पीठ ने धारा 125 द.प्र.सं. को सभी पर लागू पंथनिरपेक्ष उपबंध माना और कहा कि स्वयं का भरण-पोषण करने में असमर्थ तलाकशुदा मुस्लिम पत्नी इदत के पश्चात् भी भरण-पोषण माँग सकती है; मेहर धारा 127(3)(ख) के अधीन विवाह-विच्छेद पर संदेय राशि नहीं है।



100. (D) 2, 4, 1, 3 — A.K. Gopalan was decided in 1950, Golaknath in 1967, Kesavananda Bharati in 1973 and Maneka Gandhi in 1978.

(D) 2, 4, 1, 3 — ए.के.गोपालन 1950 में, गोलकनाथ 1967 में, केशवानंद भारती 1973 में तथा मेनका गांधी 1978 में विनिश्चित हुए।



NYAYA PATHSHALA

